रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2014/फाल्गुन 14, 1935
No. 64] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2014/PHALGUNA 14, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

अंतिम जांच परिणाम

विषय : ताइवान, तुर्की और अमरीका के मूल के या वहां से निर्यातित "पैरोक्सोसल्फेट्स" (जिसे "परसल्फेट्स" के नाम से भी जाना जाता है) के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच–प्रकटन विवरण ।

सं. 14/9/2012–डीजीएडी.—समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए;

क. <u>प्रक्रिया</u>

1. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत घरेलू उद्योग की ओर से मै0 गुजरात परसॉल्ट्स प्रा0 लि0, अहमदाबाद, मै0 कैलीवर कैमिकल्स प्रा0 लि0, मुंबई, मै0 बी आर परसल्फेट्स, अहमदाबाद एवं मै0 योयो कैमिकल्स, अहमदाबाद (जिन्हें आगे आवेदक कहा गया है) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें ताइवान, तुर्की और अमरीका (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित परसल्फेट्स के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

(ii) आवेदन की प्रारंभिक जांच से कुछ कमियों का पता चला जिन्हें आवेदक ने बाद में सुधार लिया था । अतः आवेदन को समुचित रूप से प्रलेखित माना गया था ।

(iii) पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पूर्व प्राधिकारी ने पाटन संबंधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया !

(iv) प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

(v) संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए प्राधिकारी ने 28 सितंबर, 2012 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

(vi) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति समस्त ज्ञात निर्यातकों (जिनके ब्यौरे आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) और उद्योग एसोसिएशनों को भेजी तथा उन्हें लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

(vii) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के समस्त ज्ञात आयातकों को भी सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने की सलाह दी ।

(viii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रति ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित संबद्ध देशों के दूतावास को उपलब्ध कराई । अनुरोध किए जाने पर आवेदन की प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

(ix) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं:

डेगुसा इनिसीएटर्स जीएमबीच एंड कं. केजी डा. गुस्तव–एडोल्फ स्ट्रीट 3, पुलाच, 82049 डीई फोन : 0049-89-74422233 फैक्स : 0049-89-744226112 ई–मेल : yanrong.liang@degussa.com वैबसाइट : www.degussa-initiatiors.com	मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इंडस्ट्रियल कैमिकल्स ग्रुप, 78, सायर एवेन्यू, पो.बा. 845 तोनावांडा, न्यूयार्क 14150 संयुक्त राज्य फोन: +1 716-879-0400
ई.आई. डूपोंट नेमूर्स 1007 मार्केट स्ट्रीट क्लिमिंग्टन, डेलावेयर 19898 फोन: +302- 774-1000	एफएमसी कार्पोरेशन 1735 मार्केट स्ट्रीट फिलाडेल्फिया, पीए 19103, अमरीका फोन: +215-299-6000 फैक्स : +215-299-5998
ताईवान वांडिंग कैमिकल कंपनी लि0 जियानगुओ नॉर्थ रोड, ताइवान 00222 फोन**:** 886-02-25688991	ए के–किम किम्या सनाई वी टिकारेट ए एस विस्नेजाडे माह सुलेमान सेबा, कैड नं0 82, मका बेसीकट्स इस्तानबूल फोन: 0090 212 258 31 22 / 0090 212 259 74 02 फैक्स: 0090 212 259 12 92
सूर्या किम्या सनाई टिकारेट लि0 एसटीआई (सूर्या कैमिकल्स प्रोडक्ट्स) फरहतपासा माह. जी-3 एस के नं. 100/ करताल– समंदिरा/इस्तानबुल फोन: +90 216 572 27 87 फैक्स : +90 216 572 79 28	

तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक और निर्यातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(x) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावली भेजी गई थी:

गुजरात थीमिस बायोसिन लि0 कैमिकल प्लास्टिक डिवीजन रोन पोलेंक हाउस, सुदाम कालू अहीर मार्ग, बंबई—400025	निकोलस पिरामल इंडिया लि0 तीसरा तल, अरविंद चैम्बर्स, साईं सर्विस कम्पाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, अंधेरी, पू0, बम्बई:400069
पदमा एजेंसीज बल्क ड्रग डिविजन, 5—9—30 रोड नं0 4 बशीर बाग, हैदराबाद— 500 063	अरविंदो फार्मा लि0 रोन पोलेंक हाउस, सुदाम कालू अहीर मार्ग, वर्ली, बंबई (महाराष्ट्र)
आल्टेक सरफिन कैमिकल्स लि0, तीसरा तल, अरविंद चैम्बर्स, साईं सर्विस कम्पाउंड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, अंधेरी, पू0, बम्बई:400069	नोवालटिस इंडिया लि0 रोन पोलेंक हाउस, सुदाम कालू अहीर मार्ग, वर्ली, बंबई (महाराष्ट्र)
जीडैक्स इंडस्ट्रीज 25—ए, गांधी कम्पाउंड, गोरवा, बड़ौदा— 390016	वीनस इंसुलेटर्स प्रा0लि0 गाट नं0 757,खे—शिवपुर, तालहवेली, जिला पुणे— 412205

तथापि, मै0 विसेन इंडस्ट्रीज लि0 को छोड़कर भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

(xi) निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं :

- मै0 कैम इंटलैल
- मै0 विसेन इंडस्ट्रीज लि0
- तुर्की गणराज्य, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, निर्यात महानिदेशालय,

(xii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा । जांच की कार्रवाई के दौरान उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग ने जांच से संगत सूचना प्रस्तुत की और समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को वर्तमान प्रकटन विवरण में ध्यान में रखा गया है ।

(xiii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने जहां अपेक्षित हुआ है, वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

(xiv) आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से अनुरोध किया गया था ।

(xv) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे बनाने तथा बेचने की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध—III के अनुसार

की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xvi) यह जांच 01 अप्रैल, 2011 से 31मार्च, 2012 तक की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।

(xvii) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 22 जुलाई, 2013 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । सार्वजनिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त किए थे उनसे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों को विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तर देने के लिए एक अवसर भी प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/उत्तरों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर जहां संगत पाया गया है, इस प्रकटन विवरण में विचार किया गया है ।

(xviii) सार्वजनिक सुनवाई के बाद निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को अपनी टिप्पणियां अर्थात लिखित अनुरोध और/उत्तर प्रस्तुत किए ।

(i) मै0 कैम इंटलैल

(ii) मै0 विसेन इंडस्ट्रीज लि0

(iii) तुर्की गणराज्य, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, निर्यात महानिदेशालय

(iv) घरेलू उद्योग

(xix) अमरीकी डालर को रुपए में परिवर्तन हेतु विनिमय दर सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के लिए 48.14 रुपए मानी गई है ।

(xx) वर्तमान जांच के दौरान जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ''उपलब्ध तथ्यों'' के आधार पर प्रकटन विवरण दर्ज किया है।

(xxi) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का खुलासा प्रकटन विवरण के जरिए किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में संगत सीमा के अधीन विचार किया गया है । घरेलू उद्योग और मै0 कैम इंटैल तथा मै0 विसेन इंडस्ट्रीज द्वारा प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं । तुर्की के दूतावास ने अपने ई–मेल में यह बताया है कि उन्हें इस मामले में आगे कोई टिप्पणी नहीं करनी है ।

(xxii) *** यह चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

(xxiii) केन्द्र सरकार ने जांच पूरी करने और अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित करने के लिए समयावधि 27.03.2014 तक बढ़ा दी है

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ख.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

2. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं :

(क) विचाराधीन उत्पाद ''पेरोक्सो सल्फेट्स'' है जिसे आम तौर पर ''परसल्फेट्स'' के नाम से जाना जाता है । परसल्फेट्स घनिष्ठ रूप से संबंधित यौगिकों का एक समूह होते हैं । इनका उत्पादन अल्कली धातु लवणों के रूप में किया जाता है जिनमें अमोनियम परसल्फेट्स (एपीएस), पोटेशियम परसल्फेट्स, (पीपीएस) और सोडियम परसल्फेट्स (एस पी एस) शामिल हैं ।

(ख) इन परसल्फेटों का रासायनिक सूत्र क्रमशः $(NH_4)_2S_2O_8$, $K_2S_2O_8$, $Na_2S_2O_8$ है । वस्त्र तथा रासायन उद्योगों में एक इनीसिएटर तथा आक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में परसल्फेटों के तीनों प्रकारों के समान अंतिम उपयोग होते हैं और एक का प्रयोग दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है । तीनों ही लवण एक हैं और समान उत्पाद हैं ।

(ग) वर्तमान मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तीसरी जांच है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही यह मान लिया है कि परसल्फेटों के तीनों प्रकार एक ही वस्तु हैं ।

(घ) यूरोपीय आयोग ने इसी उत्पाद के संबंध में जांच की है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पोटेशियम मोनोपरसल्फेट (केएमपीएस) भी शामिल था । परसल्फेट के सभी प्रकारों को एक ही उत्पाद माना गया था। अमरीका ने विचाराधीन उत्पाद से संबंधित जांच की है और बाद में उसने दो निर्णायक समीक्षा जांचें की हैं । अमरीकी आईटीसी ने यह माना है कि परसल्फेट के तीनों प्रकार एक ही वस्तु हैं ।

(ड.) दो उत्पादों की लागत और कीमत में अंतर होने से वे अलग वस्तु नहीं बन जाते हैं । इसका तात्पर्य केवल यह है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय तीनों उत्पादों के लिए अलग से तुलना की जानी चाहिए।

ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नानुसार हैं :–

क. परसल्फेटों के तीनों प्रकार (अमोनियम परसल्फेट्स, पोटेशियम परसल्फेट्स, और सोडियम परसल्फेट्स) समान उत्पाद नहीं हैं और इस प्रकार इन्हें एक ही उत्पाद नहीं माना जाना चाहिए ।

ख. परसल्फेट के अलग–अलग प्रकार की रासायनिक संरचना समान नहीं है । अमोनियम परसल्फेट्स [(NH4)2S2O8], पोटेशियम परसल्फेट्स [K2S2O8], और सोडियम परसल्फेट्स [Na2S2O8] की स्पष्ट रूप से अलग रासायनिक संरचना है । इस प्रकार परसल्फेट के प्रकारों के बीच रासायनिक संरचना में अंतर है ।

ग. परसल्फेट के विभिन्न प्रकारों के बीच लागत और कीमत में कोई खास अंतर नहीं है । जांच अवधि के दौरान अमोनियम परसल्फेट की औसत कीमत 70–75 रूपए प्रति किग्रा0, पोटेशियम परसल्फेट की कीमत 100–110 रुपए प्रति किग्रा0 और सोडियम परसल्फेट की औसत कीमत 100–110 रुपए प्रति किग्रा0 के बीच रही थी ।

घ. अमोनियम परसल्फेट अन्य दो प्रकारों के साथ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है क्योंकि अमोनियम परसल्फेट की तुलना में पोटेशियम परसल्फेट तथा सोडियम परसल्फेट की कीमत 40–50 प्रतिशत अधिक होती है ।

ड. प्रकटन विवरण के बाद आयातकों ने उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों के बारे में अपने विचारों को दोहराया है कि उत्पादों के विभिन्न प्रकारों को एक ही उत्पाद नहीं माना जाना चाहिए ।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

4. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद पेरोक्सोसल्फेट्स है (जिसे परसल्फेट्स भी कहा जाता है) । वर्तमान जांच में परसल्फेट्स के तीनों प्रकार शामिल किए गए हैं, जो हैं*:*

I) अमोनियम सल्फेट (एपीएस), (एन एच 4), (2एस2 ओ 8)

II) पोटेशियम पर सल्फेट (पी पी एस), (के2एस2 ओ 8); और

III) सोडियम पर सल्फेट (एस पी एस), (एन ए 2एस2 ओ 8).

5. ये परसल्फेट्स घनिष्ठ रूप से संबंधित यौगिकों का एक समूह होते हैं जिनका उत्पादन अल्कली धातु लवणों के रूप में किया जाता है । ये अत्यधिक संवेदनशील तथा कारगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये क्रियाशील ऑक्सीजन का उत्सृजन अत्यंत कुशलतापूर्वक एवं आसानी से करते हैं। सभी तीनों सल्फेटों का विनिर्माण इलेक्ट्रोमेकेनिक ढंग से किया जाता है और इनके वस्त्र एवं रसायन उद्योगों में इनीसिएटर तथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में समान या प्रतिस्थापनीय अंतिम प्रयोग होते हैं। समस्त परसल्फेट्स सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के

अध्याय–28 के उपशीर्ष 283340 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अंतर्गत उपशीर्ष 28334000 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, उपर्युक्त वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

6. यद्यपि, जांच में शामिल परसल्फेटों के तीनों प्रकारों की रासायनिक संरचना अलग–अलग है, तथापि, आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि परसल्फेटों के सभी तीनों प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि परसल्फेटों की विनिर्माण प्रक्रिया और अंतिम उपयोग समान हैं ।

7. जहां तक हितबद्ध पक्षकार के इस तर्क का संबंध है कि परसल्फेटों के तीनों प्रकारों को एक ही उत्पाद नहीं माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पोटेशियम परसल्फेट, सोडियम परसल्फेट और अमोनियम परसल्फेट मात्र परसल्फेट के अलग–अलग प्रकार हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भारत में और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा वैश्विक क्षेत्राधिकार में अपनी पाटनरोधी जांचों में विगत में विचाराधीन उत्पाद के अलग–अलग प्रकारों को एक ही उत्पाद माना गया है । इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि अमरीका और ई यू ने भी संबद्ध वस्तु के बारे में पाटनरोधी जांचें की हैं जिनमें भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, प्रतिस्थापनीयता आदि की जांच करने के बाद परसल्फेटों के सभी प्रकारों को एक ही उत्पाद माना गया था । आगे यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में अलग से पाटनरोधी जांच की है, जिसकी निर्णायक समीक्षा जांच हाल ही में संपन्न हुई है और परसल्फेटों के सभी प्रकारों को एक ही उत्पाद माना गया है । जहां तक अलग–अलग उत्पाद प्रकारों के लिए अलग–अलग कीमत स्तरों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के प्रकारों के बीच कीमत अंतर से यह निष्कर्ष न्यायोचित नहीं बनता है कि एक प्रकार के उत्पाद को अलग उत्पाद के रूप में माना जाना चाहिए ।

ख. 4 समान वस्तु :

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

"ऐसी वस्तु जो भारत में पाटित किये जाने के लिए जांचाधीन वस्तु से हर तरीके से समनुरूप अथवा समान है अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में ऐसी दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है तथापि, उसमें जांचाधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती–जुलती विशेषताएं हैं"।

9. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समनुरूप है । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आवेदक के उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है और दोनों भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है और दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं ।

10. प्राधिकारी ने मामले की जांच की है और यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संबंध में तुलनीय है । दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । उपभोक्ताओं ने दोनों का अदल–बदल कर प्रयोग किया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के घरेलू समान उत्पाद के रूप में माना जा रहा है ।

घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

11. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नानुसार परिभाषित है :

(ख)"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा । "

12. यह आवेदन भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उद्योग के रूप में मै0 गुजरात परसॉल्ट्स प्रा0 लि0, अहमदाबाद, मै0 कैलीबर कैमिकल्स प्रा0 लि0, मुंबई, मै0 वीआर परसल्फेट्स, अहमदाबाद और मै0 योयो कैमिकल्स अहमदाबाद (जिन्हें आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर किया गया था । आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र ज्ञात उत्पादक हैं । सभी चारों कंपनियां वर्तमान जांच में भाग ले रही हैं और इसलिए आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है । घरेलू उद्योग के आधार और आवेदक की हैसियत के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और विधिवत जांच करने के बाद यह माना जाता है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के क्रमशः नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अनुसार आधार तथा घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ।

घ. विविध अनुरोध

घ. 1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

i. याचिकाकर्ताओं ने याचिका का अगोपनीय रूपांतरण दायर किया और गोपनीयता का दावा करने के लिए कारण दिए । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसे स्वीकार किया है और इसलिए गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और याचिका के बारे में त्रुटिपूर्ण होने का दावा नहीं किया जा सकता ।

ii. याचिकाकर्ताओं ने अगोपनीय रूपांतरण में दोनों प्रकार के उत्पादन (आबद्ध खपत सहित और रहित) की सूचना दी है और प्राधिकारी ने आबद्ध खपत को छोड़कर उत्पादन स्वीकार किया है । हितबद्ध पक्षकारों ने आंकड़ों को चुनिंदा ढंग से पढ़ा है ।

iii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निदेशालय द्वारा यथा सत्यापित सूचना स्वीकार की है और एक कंपनी के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचित क्षमता से अधिक क्षमता पर विचार किया है । प्राधिकारी ने लागत आवंटन तथा व्यय के अनुपात हेतु खुद की स्थापित कार्यप्रणाली को अपनाया है जिसकी वजह से लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह में अंतर के बारे में मापदंडों से संबंधित प्रवृत्ति में छिट—पुट अपरिणामी परिवर्तन हुए थे ।

iv. जर्मनी से आयात न्यूनतम सीमा से कम है और उसकी कीमतें भी अधिक हैं । अतः जर्मनी को संबद्ध देश के रूप में शामिल करने का कोई प्रश्न नहीं था ।

घ. 2 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

i. जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए आवेदन में क्षति संबंधी पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं ।

ii. प्रदत्त अगोपनीय सूचना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है और उसमें उचित अनुरोधों के साथ अपर्याप्त सूचना नहीं है ।

iii. याचिका में कुछ सूचना से दूसरी जांच, जो हाल ही में संपन्न हुई थी, की तुलना में असंगतता प्रतीत होती है ।

iv. जर्मनी, जिसकी आयात कीमत अमरीका और तुर्की से कम थी, को वर्तमान जांच से बाहर कर दिया गया है । तुर्की तथा अमरीका से एपीएस और अमरीका से पीपीएस की आयात कीमत जर्मनी से इन उत्पादों की कीमत से अधिक थी । इस प्रकार, जर्मनी को बाहर रखना गलत और भेदभावपूर्ण है ।

v. तुर्की शिकायतकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने की स्थिति से काफी दूर है । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (ट्रेड मैप) के वर्ष 2012 के आंकडों के अनुसार, तुर्की का मात्रा के संबंध में भारत के संबद्ध वस्तु के आयातों में 1.4 प्रतिशत हिस्सा बनता है । यदि वर्ष 2008—2012 के बीच औसत आयात स्तरों (लगभग 1.049 टन) को भी हिसाब में लिया जाए तो तुर्की का हिस्सा भारत के कुल संबद्ध वस्तु के आयातों का 14 प्रतिशत ही बनता है ।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. प्राधिकारी ने विविध अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है :

i. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदन में जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए क्षति से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में क्षति पहुंचाने वाले पाटन का प्रथमदृष्टया साक्ष्य था जिससे जांच शुरू करने की जरूरत न्यायोचित बन गई थी ।

ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका त्रुटिपूर्ण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक विधिवत प्रलेखित याचिका प्राप्त होने के बाद और किए गए दावों के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के उपरांत ही प्राधिकारी ने जांच शुरू की थी । इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी को प्रस्तुत साक्ष्यों और सूचना का सत्यापन जांच की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और उसके बाद ही प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण जारी करते समय उस पर विचार किया जाता है ।

iii. जहां तक अलग–अलग जांचों में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों में असंगतता से जुड़े तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा किए गए मात्र दावों को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है । प्राधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया के दौरान याचिकर्ता सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों की विधिवत जांच की जाती है और सूचना की विस्तृत जांच तथा सत्यापन करने के बाद ही उसे रिकॉर्ड में लिया जाता है ।

iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जर्मनी को संबंध जांच में शामिल किया जाना चाहिए था, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को अलग–अलग प्रकारों में विभाजित किए बिना उसके समग्र रूप में हुए आयातों का विश्लेषण करते हैं । डीजीसीआईएस के सौदेवार आंकड़ों से आयात मात्रा की जांच करने के बाद यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान ई यू से संबद्ध वस्तु (संबद्ध वस्तु के सभी तीन ग्रेड) के आयात संबद्ध वस्तु के आयातों के 6.79 प्रतिशत बनते हैं । तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि उनकी आयात कीमतें काफी अधिक हैं और इसलिए उनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है । जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि कुल आयातों में हिस्से के रूप में तुर्की का हिस्सा नगण्य है, यह उल्लेख किया जाता है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अनुसार मात्रा के रूप में तुर्की का हिस्सा नगण्य से काफी अधिक है ।

ड. पाटन मार्जिन

ड.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

ड.1.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं :

i. याचिकाकर्ताओं ने कम तथा अधिक मात्राओं पर विचार करते हुए अमरीका में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों में से एक उत्पादक के कीमत प्रस्ताव/भाव दर के आधार पर अमरीका में सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

ii. याचिकाकर्ताओं ने उस कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का आगे दावा किया है जिस कीमत पर एक घरेलू उत्पादक ने विकल्प के रूप में अमरीका में खपत हेतु अमरीका को उत्पाद का निर्यात किया है ।

iii. याचिकाकर्ता ताइवान और तुर्की में सामान्य मूल्य की गणना के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं कर सके । अतः याचिकाकर्ताओं ने केवल अमोनियम परसल्फेट के लिए भारत में परिकलित लागत के आधार पर इन दोनों देशों के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है क्योंकि इस ग्रेड के उत्पाद का ही आयात इन दोनों देशों से किया जा रहा है ।

iv. प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि तुर्की के मामले में निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य सही नहीं है और संबद्ध देशों से तुर्की के बारे में पाटनरोधी जांच का समापन गलत है । यह भी उल्लेख किया गया है कि अमरीका के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण सही नहीं है और सामान्य मूल्य का निर्धारण अमरीका में खपत कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए था ।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने अमरीका में एकमात्र उत्पादक द्वारा की गई कीमत पेशकश और अमरीका में एक याचिकाकर्ता द्वारा किए गए निर्यातों को अस्वीकार करने में त्रुटि की है क्योंकि अमरीका में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की संख्या अधिक नहीं है । इसके अलावा, यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करने में विफल रहे हैं ।

v. प्रकटन विवरण के बाद यह भी तर्क दिया गया है कि परिकलित सामान्य मूल्य को क्षतिरहित कीमत के अनुसार उत्पादन लागत पर आधारित नहीं किया जा सकता।

आयातकों के अनुरोध

15. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अमरीका के लिए उसकी निर्यात कीमत और अमरीका में उत्पादकों में से एक उत्पादक द्वारा कीमत पेशकश के आधार पर अमरीका के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । इस संबंध में अनुरोध किया जाता है कि अमरीका के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु दोनों तरीके सही नहीं हैं ।

ड.1.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है ताकि उनके देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया जा सके । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में अमरीका में उसकी निर्यात कीमत और अमरीका में उत्पादकों में से एक उत्पादक द्वारा प्रस्ताव कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है । इस जांच में अमरीका में उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु की कुछ प्रस्ताव कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण को आधारित करना उचित नही माना गया था क्योंकि इनमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान अमरीका में घरेलू बिक्री कीमतों का प्रदर्शन नहीं होगा कि अमरीका में संबद्ध वस्तु के बड़ी संख्या में बिक्री सौदे नहीं होते हैं और यह भी सच है कि अमरीका में संबद्ध वस्तु के ऐसे अन्य उत्पादक भी हैं जिनकी बिक्री कीमत ज्ञात नहीं है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी ने परिकलित उत्पादन लागत तथा उचित लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है ।

ड.1.2.1 अमरीका में सामान्य मूल्य

17. कानून के अंतर्गत उपबंध के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अमरीका में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उस स्थिति में उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है जब वह अमरीका के घरेलू बाजार में खपत के लिए हो । तथापि, अमरीका के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है । विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद अमरीका में सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित मूल्य नीति का प्रयोग करते हुए किया गया है । प्रमुख निविष्टियों की कीमत पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर विचार किया गया है । प्रति इकाई उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री की खपत तथा परिवर्तन लागत पर रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर अर्थात सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है । बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत को रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है । लाभ को कारखाना लागत के 5 प्रतिशत की दर से लिया गया है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है । अमरीका के मामले में इस प्रकार से लिए गए सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन की तालिका में किया गया है ।

ड.1.2.2 ताईवान में सामान्य मूल्य

18. कानून के अंतर्गत उपबंध के अनुसार, प्राधिकारी के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उस स्थिति में उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है जब वह ताइवान के घरेलू बाजार में खपत के लिए हो । तथापि, ताइवान के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है । ताइवान में सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित मूल्य नीति का प्रयोग करते हुए किया गया है । प्रमुख निविष्टियों की कीमत पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर विचार किया गया है । प्रति इकाई उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री की खपत तथा परिवर्तन लागत पर रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर अर्थात सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है । बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत को रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है । लाभ को कारखाना लागत के 5 प्रतिशत की दर से लिया गया है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है । ताइवान के मामले में इस प्रकार से लिए गए सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन की तालिका में किया गया है ।

ड.1.2.3 <u>तुर्की में सामान्य मूल्य</u>

19. कानून के अंतर्गत उपबंध के अनुसार, प्राधिकारी के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उस स्थिति में उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित होता है जब वह तुर्की के घरेलू बाजार में खपत के लिए हो । तथापि, तुर्की के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर के साथ प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है । तुर्की में सामान्य मूल्य का निर्धारण परिकलित मूल्य नीति का प्रयोग करते हुए किया गया है । प्रमुख निविष्टियों की कीमत पर प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर विचार किया गया है । प्रति इकाई उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री की खपत तथा परिवर्तन लागत पर रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर अर्थात सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग की सूचना/आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है । बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक लागत को रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है । लाभ को कारखाना लागत के 5 प्रतिशत की दर से लिया गया है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है । तुर्की के मामले में इस प्रकार से लिए गए सामान्य मूल्य का उल्लेख पाटन मार्जिन की तालिका में किया गया है ।

घ.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

20. सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। इस प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के बारे में भारतीय सीमाशुल्क आंकड़ों पर विचार किया है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन और अंतरदेशीय भाड़े के लिए कीमत समायोजनों की अनुमति दी गई है । विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक उप प्रकार की भारत को हुई निर्यात बिक्री (सभी समायोजनों को छोड़कर) पर कारखाना निर्यात कीमत के रूप में विचार किया गया है ।

ड.3 पाटन मार्जिन का निर्धारण

21. यह नोट किया जाता है कि अमरीका ने जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के सभी तीनों उप प्रकारों का निर्यात किया है जबकि ताइवान और तुर्की ने इसी अवधि के दौरान केवल एपीएस का निर्यात किया है । विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रत्येक उप प्रकार अर्थात एपीएस, पीपीएस और एसपीएस की निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना करने के बाद किया गया है जिनका निर्यात जांच अवधि के दौरान प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा किया गया है । तत्पश्चात संबद्ध देशों के लिए भारित औसत पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद तालिका में किए गए उल्लेखानुसार पाटन मार्जिन निकाला गया है । चूंकि तुर्की के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन नकारात्मक है, इसलिए तुर्की के संबंध में पाटनरोधी जांच समाप्त की जाती है ।

अमरीका में सभी उत्पादक तथा निर्यातक अम.डा./किग्रा.					
	एपीएस	पीपीएस	एसपीएस	भारित औसत	पाटन **मा**र्जिन रेंज
सामान्य मूल्य	***	***	***	***	
निर्यात कीमत	***	***	***	***	
पाटन **मा**र्जिन	(***)	(***)	***	***	
पाटन **मा**र्जिन %	(***)	(***)	***	***	0-10

ताइवान में सभी उत्पादक तथा निर्यातक अम.डा./किग्रा.		
	एपीएस	पाटन **मा**र्जिन रेंज
सामान्य मूल्य	***	
निर्यात कीमत	***	
पाटन **मा**र्जिन	***	
पाटन **मा**र्जिन %	***	5-15

तुर्की में सभी उत्पादक तथा निर्यातक अम.डा./किग्रा.		
	एपीएस	पाटन **मा**र्जिन रेंज
सामान्य मूल्य	***	
निर्यात कीमत	***	
पाटन **मा**र्जिन	(***)	
पाटन **मा**र्जिन %	(***)	(0-10)

22. विचाराधीन उत्पाद के लिए ऊपर निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

क्र. सं.	देश/क्षेत्र सभी उत्पादक व निर्यातक	पाटन **मा**र्जिन अम. डा./किग्रा.	पाटन **मा**र्जिन %	पाटन **मा**र्जिन रेंज
1	अमरीका	***	***	0-10%
2	ताइवान	***	***	5-15%
3	तुर्की	(***)	(***)	(0-10%)

च. क्षति

च.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

23. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि :

(क) निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अलग–अलग उत्पाद प्रकारों के संबंध में क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है । क्षति को विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के लिए देखना अपेक्षित होता है ।

(ख) वर्तमान मामले में संचयी निर्धारण न्यायोचित है । मात्र अलग–अलग उत्पाद प्रकारों की मौजूदगी और एक देश से कुछ उत्पाद की आपूर्ति तथा अन्य उत्पाद प्रकार की अनापूर्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि संचयी निर्धारण अन्यायोचित होगा । विचाराधीन उत्पाद के तीनों प्रकार एक ही वस्तु हैं ।

(ग) उत्पाद की मांग में वृद्धि प्रदर्शित हुई है और भारतीय उत्पादकों को इस बात की बेहतर जानकारी है कि निर्यात उनका फोकस बाजार नहीं है ।

(घ) उत्पादन में गिरावट निर्यात मात्रा में आई गिरावट से अधिक है । इसके अलावा, घरेलू बिक्री मात्रा में भी गिरावट आई है जब विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है । मांग में वृद्धि होने के समय घरेलू बिक्री मात्रा में गिरावट आने से स्वतः ही क्षति तथा कारणात्मक संबंधी की पुष्टि हो जाती है ।

(ड.) क्षतिरहित कीमत और निवल बिक्री प्राप्ति के बीच अंतर क्षति विश्लेषण में पूर्णतः महत्वहीन होता है । क्षतिरहित कीमत का उद्देश्य केवल क्षति मार्जिन का निर्धारण करना होता है ।

(च) ''लागम में अंतर'' और ''लाभप्रदता में गिरावट'' दो अलग–अलग मापदंड हैं । यद्यपि, लागत में अंतर अन्य कारकों की वजह से हो सकता है, तथापि, लाभप्रदता में गिरावट लागत में अंतर के कारण नहीं आ सकती ।

(छ) संबद्ध देशों से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है । निर्यातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती की मौजूदगी से इस बात की स्पष्ट पुष्टि हो जाती है कि पाटित आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक प्रमुख कारण है ।

(ज) संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है । घरेलू उद्योग द्वारा पहले से ही प्रस्तुत अत्यधिक कम कीमतों के बावजूद घरेलू कीमत में आयात कीमत के कारण कटौती हो रही है ।

(झ) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में नहीं हुई है । ऐसा संबद्ध देशों से हुए आयातों द्वारा वस्तु की रखी गई अत्यधिक कम कीमत के कारण हुआ है । अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत का न्यूनीकरण हो रहा है ।

(ट) घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में वर्ष 2010–11 तक सुधार हुआ और उसके बाद जांच अवधि में उनमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में भी गिरावट आई ।

(ठ) लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आ रही थी और जांच अवधि में लाभ घाटे में तब्दील हो गया ।

(ड) पाटन की सीमा के एक उपाय के रूप में पाटन मार्जिन काफी अधिक है ।

(ढ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जापान और चीन के संबंध में संपन्न की गई अन्य जांच में पाटनरोधी शुल्क का नियत स्वरूप लागू किया है । इसके अलावा, वर्तमान मामले में परसल्फेटों के तीन प्रकार हैं और इसलिए वर्तमान मामले में शुल्क के नियत स्वरूप को अथवा मूल्यानुसार शुल्क को लागू किया जाना चाहिए ।

(ण) प्रकटन विवरण के पश्चात् घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि निर्धारित क्षति रहित कीमत काफी कम है । याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि जांच अवधि में कच्ची सामग्री की वास्तविक खपत पर विचार किया जाए ।

(त) घरेलू उद्योग ने आगे प्राधिकारी को पूर्व में उनके द्वारा किए गए क्षति संबंधी अनुरोधों के बारे में अपने अनुरोधों को दोहराया है। उन्होंने प्राधिकारी से यह कहते हुए अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क अम.डा. में नियत शुल्क आधार पर लागू किया जाए कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन का कच्ची सामग्री की लागत, उपयोगिताओं और अन्य लागतों पर प्रभाव पड़ा है ।

च.2 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

i. सभी संबद्ध देशों से क्षति का निर्धारण संचयी रूप से नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वस्तु जर्मनी से एपीएस तथा पीपीएस के संबंध में समान स्तर पर और क्षति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही है । जब तुर्की और ताइवान से पीपीएस और एसपीएस का कोई आयात नहीं हुआ है तो इसकी वजह से घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति का होना गलत है । ऐसी स्थिति में संचयी निर्धारण से विकृत स्थिति उत्पन्न होगी ।

ii. संबद्ध देशों से हुए आयात को एपीएस, पीपीएस और एसपीएस के लिए अलग–अलग देखे जाने की जरूरत है । तुर्की और ताइवान से पीपीएस तथा एसपीएस को कोई आयात नहीं हुआ था । इससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से हुए आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है ।

iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित क्षमता का केन्द्र बिन्दु निर्यात बाजार था ।

iv. आधार वर्ष के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन 3,589 मी.ट. हुआ था जो जांच अवधि में बढ़कर 3,857 मी.ट. हो गया । इसके अलावा, वर्ष 2010–11 की तुलना में जांच अवधि के दौरान उत्पादन में आई गिरावट निर्यात मात्रा में आई गिरावट के अनुरूप है ।

v. आधार वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा 2,066 मी.ट. थी जो जांच अवधि के दौरान बढ़कर 2,439 मी.ट. हो गई ।

vi. प्रक्रिया के कारण कुछ याचिकाकर्ताओं की उत्पादन लागत काफी अधिक है । अतः प्राधिकारी के लिए कंपनीवार लागत (परिवर्तन लागत, कच्ची सामग्री एवं उपयोगिता लागत) और क्षति संबंधी आंकड़ों की तुलना करना अपेक्षित है ।

vii. जांच अवधि के दौरान ब्याज लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसकी प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट जांच की जानी चाहिए ।

viii. उच्च ब्याज लागत, मजदूरी, प्रक्रिया के कारण उत्पादन की उच्च लागत, निर्यात मात्रा में गिरावट, जर्मनी से कम कीमत पर हुए आयात किसी आरोपित क्षति के मुख्य कारण हैं जिससे वर्तमान मामले में संबद्ध देशों से हुए पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अभाव की स्पष्ट पुष्टि होती है ।

ix. अतः यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को किसी प्रकार से लगाए जाने के लिए इस मामले पर विचार करते ही हैं तो शुल्क के नियत स्वरूप से हम अस्तित्व में बने रहने के लिए अप्रतिस्पर्धी और अव्यवहार्य बन जाएंगे तथा साथ ही साथ याचिकाकर्ता को अनुचित लाभ प्राप्त होगा ।

x. शिकायतकर्ताओं ने उत्पादन, क्षमता, बिक्री, उत्पादकता और रोजगार के संबंध में अन्य जांच में वित्तीय स्थिति के प्रतिकूल समान क्षति तथा पाटन के आरोपों का उपयोग किया है ।

xi. क्षति का विश्लेषण करते समय बीच की प्रवृति को देखा जाना चाहिए । उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है । वर्ष 2008 और 2011 में उत्पादन में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष 2010—2011 तक उत्पादन मांग से लगातार अधिक रहा है।

xii. उत्पादन और क्षमता में निरंतर वृद्धि होने के कारण मांग कम हो गई है जिससे स्वजनित क्षति हुई है।

xiii. उत्पादन में गिरावट निर्यातों में कमी के कारण आई थी । इसके अलावा, वर्ष 2009—10 और 2011—12 में हुआ घाटा निर्यातों में गिरावट के कारण हुआ था ।

xiv. बाजार हिस्से को तुर्की से हुए आयातों के कारण नहीं गंवाया गया था बल्कि ऐसा अन्य देशों से हुए आयातों में वृद्धि के कारण हुआ था ।

xv. तुर्की से हुए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।

xvi. लाभप्रदता में कमी मजदूरी के कारण भी आई है ।

xvii. प्रकटन विवरण के पश्चात यह अनुरोध किया गया है कि कीमत कटौती का समर्थन पूर्ण तथ्यों के साथ नहीं किया गया है। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया है कि तीसरे देश से हुए आयातों के पहलुओं की तथ्यपरक जांच नहीं की गई है । यह भी बताया गया है कि सामान्य मूल्य को गोपनीय मानना न्यायोचित नहीं है ।

xviii. प्रकटन विवरण के पश्चात यह अनुरोध किया गया है कि आरोपित क्षति और पाटन के बीच कोई कारणत्मक संबंध नहीं है और यह भी उल्लेख किया गया है कि शुल्क, यदि कोई हो, को भारतीय रुपए के रूप में न कि अम.डा. के रूप में होना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग रुपए में आई भारी गिरावट के कारण पहले से ही संरक्षित है । उन्होंने प्राधिकारी से वर्तमान जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है ।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

च. 3.1 संचयी निर्धारण

24. अनुबंध—।। के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम—11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान

वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा प्रयाप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

25. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध–।। के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति और पाटन की मात्रा और मार्जिन जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतों पर विचार किया गया है।

26. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ।। में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादन की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।

27. इस संबंध में प्राधिकारी यह पाते हैं कि :

(क) प्रत्येक संबद्ध देश (आगे अमरीका और ताइवान भी कहा गया है) से पाटन मार्जिन ऊपर निर्धारित सीमाओं से अधिक है ।

(ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है ।

(ग) आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । यह निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता हैः

i. संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तु आपस में और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की तुलना में प्रतिस्पर्धा करते हैं । दूसरे शब्दों में विभिन्न संबद्ध देशों और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु आपस में समान वस्तुएं हैं ।

ii. ऐसे सामान्य पक्षकार हैं जो विभिन्न स्रोतों से आयातित सामग्री और घरेलू सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं । अतः आयातित और घरेलू सामग्री का प्रयोग एक–दूसरे के स्थान पर हो रहा है और घरेलू उत्पाद तथा आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है ।

iii. बिक्री के माध्यम तुलनीय हैं ।

iv. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा काफी अधिक है ।

v. उपभोक्ता विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा प्रस्तावित कीमतों के आधार पर खरीद का निर्णय लेते हैं ।

28. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी आयातित उत्पाद और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर घरेलू उद्योग पर अमरीका तथा ताइवान (जिन्हें आगे इस प्रकटन विवरण में संबद्ध देश भी कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी निर्धारण करना उचित समझते हैं।

29. प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार क्षति मापदंडों का विश्लेषण किया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी जहां अपेक्षित हुआ है, वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

30. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के विचारों पर विचार किया है और उनका समुचित ढंग से समाधान किया है ।

31. चूंकि संबद्ध देशों अर्थात् अमरीका और ताइवान से हुए निर्यातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है, इसलिए इन संबद्ध देशों से हुए समूचे निर्यातों को क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना गया है ।

32. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और उन्होंने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निम्नानुसार विश्लेषण किया है । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर संगत समझी गई सीमा तक विचार किया गया है और उनकी नीचे जांच की गई है तथा इस प्रकटन विवरण के संगत खंडों में जांच की गई है ।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित क्षति विश्लेषण से घरेलू उद्योग की स्थिति तथा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई क्षति का पता चलता है । प्राधिकारी ने विशिष्ट और संगत अनुरोधों पर नीचे विचार कर उनका समाधान किया है:

क. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि सभी संबद्ध देशों से हुई क्षति का संचयी निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि संचयन की स्थितियां विद्यमान हैं, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उत्पाद के प्रकारों को अलग करने के बाद उनका निर्धारण करे । चूंकि संबद्ध देशों से हुए निर्यातों के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन की पुष्टि की गई है, इसलिए संबद्ध देशों से हुए सभी निर्यातों को क्षति विश्लेषण तथा कारणात्मक संबंध की जांच के प्रयोजनार्थ पाटित आयात माना गया है ।

ख. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध देशों से हुए आयात को एपीएस, पीपीएस और एसपीएस के लिए अलग से देखे जाने की जरूरत है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण हुई देखी गई है । चूंकि उत्पाद को परसल्फेट के सभी प्रकारों को शामिल करते हुए परिभाषित किया गया है, इसलिए क्षति विश्लेषण में समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए अनुमति दी जाएगी न कि उत्पाद प्रकारों के लिए । प्राधिकारी ने चीन से संबद्ध वस्तु के बारे में हाल ही में संपन्न निर्णायक समीक्षा जांच में समूचे उत्पाद के लिए क्षति विश्लेषण किया है।

ग. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संबद्ध वस्तु के बारे में हाल ही में संपन्न निर्णायक समीक्षा में कुछ मापदंडों में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार नोट किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कानून का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि विश्लेषित सभी मापदंडों में क्षति प्रदर्शित नहीं हो सकती । आगे यह नोट किया जाता है कि उक्त जांच में कुछ मापदंडों में सुधार देखे जाने के बावजूद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला था ।

घ. जहां तक प्रकटन विवरण के पश्चात् हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि दोनों पक्षकारों अर्थात् घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों ने मोटे तौर पर प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में किए गए अनुरोधों को दोहराया है । जहां तक घरेलू उद्योग के इस अनुरोध का संबंध है कि निर्धारित क्षतिरहित कीमत काफी कम है, यह उल्लेख किया जाता है कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध–।।। के अनुसार सिद्धांतों और नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

ड. जहां तक आयातकों द्वारा प्रकटन विवरण के पश्चात् की गई इन टिप्पणियों का संबंध है कि कीमत कटौती का समर्थन पूर्ण तथ्यों के साथ नहीं किया गया है । मामले की पुनः जांच की गई है और यह उल्लेख किया जाता है कि कीमत कटौती की जांच समूची क्षति अवधि के लिए की गई है और जांच के बाद यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, संबद्ध देशों (अमरीका और ताईवान) के संबंध में कीमत कटौती आधार वर्ष अर्थात् 2008–09 के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक रही है । तथापि, वह उसके बाद और वर्ष 2009–10 से सकारात्मक बन गई और यह सकारात्मक तथा अत्यधिक है ।

च. जहां तक प्रकटन विवरण के पश्चात् की गई इन टिप्पणियों का संबंध है कि तीसरे देश से हुए आयातों के पहलुओं की तथ्यपरक जांच नहीं की गई है, मामले की पुनः जांच की गई है और यह उल्लेख किया जाता है कि तीसरे देशों से हुए आयात की कीमत मात्रा के संबंध में या तो नगण्य है या फिर उनकी कीमतें अधिक हैं और इनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है । जहां तक इन टिप्पणियों का संबंध है कि सामान्य मूल्य को गोपनीय मानना न्यायोचित नहीं है, यह

उल्लेख किया जाता है कि परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया था, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा सर्वाधिक कुशल घरेलू उद्योग के खपत मानको को ध्यान में रखते हुए किया गया है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अगोपनीय रूपांतरण के समग्र मूल्य का खुलासा नहीं किया गया है । तथापि, पाटन मार्जिन रेंज का प्रकटन पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है ।

छ. जहां तक क्षति से संबंधित अन्य टिप्पणियों का संबंध है, इन पर अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों/शीर्षकों में विचार किया गया है ।

च. 3.2 <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव</u>

क) आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

34. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है । क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध कराए गए सौदेवार आंकड़ों से लिए गए आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है :–

आयात– (मात्रा)	इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अमरीका	मी.ट	134	591	765	702
ताइवान	मी.ट	20	90	132	163
संबद्ध देश से कुल आयात	मी.ट	154	681	897	865
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	441	581	561
देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	मी.ट	204	266	246	496
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	131	121	244
अन्य देश	मी.ट.	156	92	114	421
कुल आयात	मी.ट.	514	1,038	1,257	1,782
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	202	245	347
आयातों में बाजार हिस्सा					
अमरीका	%	26.13%	56.87%	60.86%	39.39%
ताइवान	%	3.89%	8.67%	10.50%	9.17%
संबद्ध देश		30.02	65.54%	71.36%	48.56%
देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	39.61%	25.60%	19.56%	27.83%
अन्य देश	%	30.36%	8.86%	9.07%	23.61%

35. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । इसी अवधि की क्षति अवधि के दौरान जिन देशों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है उन देशों से और अन्य देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों मे भी वृद्धि प्रदर्शित हुई है ।

ख) मांग एवं बाजार हिस्से का निर्धारण

36. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मांग का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री तथा सभी स्रोतों से भारत में हुए संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा के रूप में किया है । इस प्रकार से निर्धारित मांग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है । उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि समूची क्षति अवधि के दौरान मांग में लगातार वृद्धि हुई है ।

विवरण		2008-09	2009-10	2010-11	POI
भारत में मांग					
घरेलू उद्योग बिक्री	मी.ट.	2,066	2,524	2,655	2,445
	सूचीबद्ध	100	122	128	118
संबद्ध आयात	मी.ट.	154	681	897	865
अन्य देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है		204	266	246	496
अन्य देश	मी.ट.	156	92	114	421
मांग/खपत	मी.ट.	2,580	3,562	3,912	4,227
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	152	164
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	80.09%	70.85%	67.88%	57.84%
संबद्ध देश	%	5.98%	19.11%	22.93%	20.47%
देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	7.89%	7.46%	6.28%	11.73%
अन्य देश	%	6.05%	2.58%	2.91%	9.95%

37. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात मात्रा में वृद्धि हुई है तथापि, याचिकाकर्ता मांग में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं कर सके और वस्तुतः पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में जांच अवधि में उसमें गिरावट आई । क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के बाजार हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है जबकि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाजार जिससे में लगातार गिरावट आई है ।

ड. 3. 3 <u>घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

क) कीमत कटौती

38. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध II(ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

"नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"

39. तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, इस बात की जांच की गई थी कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती । इस संबंध में संबद्ध उत्पाद के पहुंच मूल्य और सभी रिबेटों तथा करों को छोड़कर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना व्यापार के समान स्तर पर की गई थी । घरेलू उद्योग की कीमत का निर्धारण कारखाना स्तर पर किया गया था ।

विवरण	**यूओएम**	**एपीएस**	**एसपीएस**	**पीपीएस**	**भारित औसत**
संबद्ध देश समग्र रूप से					
निवल बिक्री प्राप्ति	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	144	122
पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	57.73	94.78	86.32	72.33
	सूचीबद्ध	100	164	150	125
कीमत कटौती	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	10-20	5-15	5-15	5-15

अमरीका					
निवल बिक्री प्राप्ति	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	144	127
पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	60.42	94.78	86.32	76.82
	सूचीबद्ध	100	157	143	127
कीमत कटौती	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	5-15%	5-15	5-15	5-15
ताइवान					
निवल बिक्री प्राप्ति	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	154	144	100
पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	53.03	आयात नहीं	आयात नहीं	53.03
	सूचीबद्ध	100			100
कीमत कटौती	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	15-25			15-25

40. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है जिससे घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है । जांच अवधि में परसल्फटों के सभी ग्रेडों के लिए अलग–अलग और सामूहिक रूप से घरेलू उद्योग की कीमतों में आयातों के कारण अत्यधिक कटौती हो रही है । यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष को छोड़कर समूची क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है जिससे घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हुई है ।

ख) <u>कम कीमत पर बिक्री</u>

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा की गई कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो, की भी जांच की है । जांच के बाद यह निर्धारित किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री की है ।

विवरण	**माप की इकाई**	**एपीएस**	**एसपीएस**	**पीपीएस**	**भारित औसत**
संबद्ध देश समग्र रूप से					
घरेलू उद्योग द्वारा क्षतिरहित कीमत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	123	151	122
पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	57.73	94.78	86.32	72.33
	सूचीबद्ध	100	164	150	125
कम कीमत पर बिक्री	रू0/किग्रा0	***	(***)	***	***
	%	***	(***)	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	15-25	(15-25)	5-15	5-15
अमरीका					
क्षतिरहित कीमत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	123	151	127
पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	60.42	94.78	86.32	76.82
	सूचीबद्ध	100	157	143	127
कम कीमत पर बिक्री	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	%	***	(***)	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	5-15	(15-25)	5-15	5-15
ताइवान					
क्षतिरहित कीमत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	123	151	100

पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	53.03	आयात नहीं	आयात नहीं	53.03
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100			100
कम कीमत पर बिक्री	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज %	15-25			15-25

ग) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

42. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और कीमत उतार—चढ़ाव की तुलना संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या पाटित आयातों के प्रभाव से कीमत में अत्यधिक न्यूनीकरण हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी अधिक वृद्धि हो गई होती ।

विवरण	माप की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
उत्पादन की लागत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	121	97	141
निवल बिक्री कीमत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	108	106	107
लाभ/हानि	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	57	142	-18
पहुंच कीमत अमरीका	रू0/किग्रा0	92.00	68.89	68.88	76.82
ताइवान से पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	62.44	48.86	53.00	53.03
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रू0/किग्रा0	88.47	66.25	66.54	72.33

43. उपर्युक्त से प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में कोई गिरावट नहीं आई है । अतः इस मामले में कोई कीमत ह्रासकारी प्रभाव नहीं पड़ा है । तथापि, उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है । ऐसा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु की अत्यंत कम कीमत के कारण हो सकता है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि पाटित आयातों के कारण संबद्ध वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमत का न्यूनीकरण हो रहा है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की निविष्टि लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई थी । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई । तथापि, इसी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयातों का पहुंच मूल्य उत्पादन लागत से कम रहा है । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में समर्थ नहीं हुआ था । इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आई थी ।

ड. 3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

44. नियमावली के अनुबंध—।। में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है ।

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बिक्री

45. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नानुसार रही है:—

क्र.सं.	विवरण	माप की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
1	क्षमता	मी.ट.	5,200	5,600	6,400	6,400
2	उत्पादन	मी.ट.	3,343	3,653	4,041	3,507
3	क्षमता उपयोग	%	64%	65%	63%	55%
4	घरेलू बिक्री	मी.ट.	2,066	2,524	2,655	2,445
5	मांग	मी.ट.	2,580	3,562	3,912	4,195

46. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का उत्पादन एवं बिक्री में वर्ष 2010–11 तक वृद्धि हुई है और जांच अवधि में गिरावट आई है । क्षति अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है ।

(क) लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह

47. घरेलू उद्योग के लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह की जांच निम्नानुसार की गई है :–

विवरण	इकाई	2008-09	2010-11	2011-12	जांच अवधि
उत्पादन की लागत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	121	97	141
बिक्री कीमत	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	108	106	107
लाभ/हानि	रू0/किग्रा0	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	57	142	-18
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	69	180	-21
ब्याज कर पूर्व लाभ	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	121	89	152
आर ओ सी ई	%	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	121	74	89
नकद लाभ	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100.00	82.70	81.03	86.39

48. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन लागत और निवल बिक्री कीमत, दोनों में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष और आधार वर्ष की तुलना मे जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है । तथापि, उत्पादन लागत में बिक्री कीमत से अधिक वृद्धि हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान निवेश पर आय में गिरावट आई । जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक स्तर पर पहुंच गई ।

(ग) रोजगार एवं मजदूरी

49. घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और मजदूरी की स्थिति निम्नानुसार रही है :

विवरण	माप की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	144	151
मजदूरी	लाख रू0	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	167	314

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में रोजगार के स्तर और मजदूरी में वृद्धि हुई है ।

(घ) लाभप्रदता

51. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

विवरण	माप की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	84	69
प्रति दिवस उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	121	105

52. यह नोट किया जाता है कि लाभप्रदता में वर्ष 2010–11 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग का उत्पादन घट गया है ।

(ड) मालसूची

53. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर की जांच की है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है :

माल सूची	माप की इकाई	2008-09	2009-10	2010-11	जांच अवधि
अथ स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
इति स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
औसत स्टॉक	मी.ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	114	114	108

54. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में वर्ष 2010–11 तक वृद्धि हुई और उसके बाद पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में गिरावट आई ।

(च) पूंजी जुटाने की क्षमता

55. जहां तक निवेश जुटाने की क्षमता का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि होने के कारण अपनी क्षमता में वृद्धि की है । घरेलू उद्योग का एक प्रमुख घटक अर्थात मै0 कैलिबर कैमिकल्स प्रा0 लि0 बहु उत्पाद कंपनी है और इस उत्पाद के कारण पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है ।

(छ) वृद्धि

56. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि मात्रात्मक मापदंड और कीमत मापदंड, दोनों में वर्ष 2010–11 तक सुधार प्रदर्शित हुआ और उसके बाद जांच अवधि में उनमें गिरावट आई । घरेलू उद्योग को जांच अवधि में वित्तीय घाटा हुआ । इस प्रकार, घरेलू उद्योग की समग्र वृद्धि प्रतिकूल रही थी ।

(ज) पाटन की मात्रा और मार्जिन

57. जिस सीमा तक पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, उस सीमा के एक संकेतक के रूप में पाटन की मात्रा से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के खिलाफ निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और ज्यादा है ।

(झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

58. संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से आयात कीमत, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा पर विचार करते हुए घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकने वाले पाटित आयातों से इतर कारकों से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है । आगे यह नोट किया जाता है कि अन्य देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत काफी अधिक है अथवा उन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य सीिनापन्न नहीं है । यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में अत्यधिक वृद्धि प्रदर्शित हो रही थी और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता । इस पर घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से पहुंच मूल्य और कच्ची सामग्री की लागत है ।

क्षति मार्जिन की मात्रा

59. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति अवधि के लिए प्रस्तुत लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के उपबंधों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) भी निर्धारित की है । विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित तद्नुरूपी क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों द्वारा निर्यातित प्रत्येक उप प्रकारों अर्थात एपीएस, पीपीएस तथा एसपीएस की पहुंच कीमत के साथ करने के बाद किया गया है । तत्पश्चात संबद्ध देशों के लिए भारित औसत क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है । आंकड़ों के विश्लेषण के बाद क्षति मार्जिन की गणना की गई है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है । तद्नुसार, वर्तमान मामले में क्षति मार्जिन की गणना निम्नानुसार की गई है :

अमरीका : समस्त उत्पादक तथा निर्यातक

	एपीएस	**पीपीएस**	**एसपीएस**	**भारित औसत क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन रेंज**
एनआईपी अम.डा./किग्रा.	***	***	***	***	
पहुंच मूल्य अम.डा./किग्रा. में	***	***	***	***	
क्षति मार्जिन अम.डा./किग्रा.	***	(***)	***	***	
क्षति मार्जिन %	***	(***)	***	***	5-15

ताइवान : समस्त उत्पादक तथा निर्यातक

	एपीएस	**भारित औसत क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन रेंज**
एनआईपी अम.डा./किग्रा.	***	***	
पहुंच मूल्य अम.डा./किग्रा. में	***	***	
क्षति मार्जिन अम.डा./किग्रा.	***	***	
क्षति मार्जिन %	***	***	20-30%

60. विचाराधीन उत्पाद के लिए ऊपर यथानिर्धारित भारित औसत क्षति मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	देश/क्षेत्र समस्त उत्पादक तथा निर्यातक	क्षति मार्जिन अम.डा./किग्रा.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन %
1	अमरीका	***	***	5-15
2	ताइवान	***	***	20-30%

ड.4 कारणात्मक संबंध

61. पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ–साथ पाटित आयातों से इतर ऐसे अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति की वजह पाटित आयातों को न माना जा सके ।

62. जो कारक इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य के साथ–साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन, विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकीय विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता । प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमों में सूचीबद्ध अन्य कारकों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सकता है । कारणात्मक संबंध की जांच निम्नानुसार की गई है :

(क) तीसरे देशों से आयात तथा अन्य ज्ञात कारक

63. यह नोट किया जाता है कि तीसरे देशों से संबद्ध वस्तु के आयात या तो नगण्य हैं अथवा उन पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है या फिर ईयू के मामले के समान जब उसकी आयात मात्रा नगण्य से अधिक होती है तो उसकी कीमतें अधिक होती हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है । जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जर्मनी से पीपीएस ग्रेड की आयात कीमत अधिक है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद को अलग–अलग प्रकारों में विभाजित किए बिना समूचे उत्पाद के लिए आयातों का विश्लेषण करते हैं । डी जी सी आई एंड एस के सौदेवार आंकड़ों से आयात मात्रा की जांच करने के बाद, यह नोट किया जाता है कि जांच अवधि के दौरान ईयू से संबद्ध वस्तु के आयात (संबद्ध वस्तु के सभी तीनों ग्रेड) संबद्ध वस्तु के आयातों के 6.79प्रतिशत बनते हैं । तथापि, यह भी नोट किया जाता है कि उनकी कीमतें काफी अधिक हैं और इनसे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है ।

(ख) मांग में कमी

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान देश में संबद्ध वस्तु की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

(ग) खपत की पद्धति

65. यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी की जानकारी में संबद्ध वस्तु हेतु खपत की पद्धति में कोई खास परिवर्तन नहीं लाया गया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस बारे में कोई अनुरोध किया है ।

(घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से यह पता नहीं चला है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियां या व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेवार हैं ।

(ड.) प्रौद्योगिकी विकास

67. प्रौद्योगिकी विकास का कोई आरोप नहीं है और न ही जांच से अब तक यह पता चला है कि घरेलू उद्योग को संभावित क्षति प्रौद्योगिकी विकास के कारण हो सकती है ।

(च) निर्यात निष्पादन

68. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की निर्यात बिक्री भी की है । तथापि, क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को शामिल किए बिना किया गया है ।

(छ) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

69. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । उत्पादकता में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । उत्पादकता में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को हुई पुष्टिकृत क्षति का कारण नहीं हो सकती ।

ड.4.1 कारणात्मक संबंध की पुष्टि करने वाले मापदंड

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से यह पता नहीं चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति इन कारकों से हुई है, तथापि निम्नलिखित मापदंडों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है ।

क. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पाद की मांग में पाटित आयातों का हिस्सा बढ़ा है । परिणामतः घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा गंवाया है ।

ख. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही थी । परिणामतः घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत बढ़ाने में समर्थ नहीं हुआ । इस प्रकार, आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत का न्यूनीकरण हो रहा था ।

ग. विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी जिसके परिणामस्वरूप आयात मात्रा में वृद्धि हुई । परिणामतः घरेलू उद्योग को क्षमता उपयाग में गिरावट का सामना करना पड़ा । यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई थी, तथापि इसमें मांग में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई थी ।

घ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन में गिरावट आई है । इस प्रकार उत्पाद के पाटन से घरेलू उद्योग का प्रचालन निष्पादन घटा है ।

ड. घरेलू उद्योग की मालसूची में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

च. यथा निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का स्तर काफी अधिक माना जाता है ।

ड.5. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष

71. यह नोट किया जाता है कि तुर्की को छोड़कर संबद्ध देशों से भारत में हो रहे आयात न्यूनतम सीमा से अधिक हैं । अमरीका तथा ताइवान से निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक माना जाता है । यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में समग्र रूप में और भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और उसकी खपत की तुलना में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है । संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है। आयातों के कारण कीमत में न्यूनीकरण हो रहा है । जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, नकद प्रवाह, निवेश पर आय, उत्पादकता एवं मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है । अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति अमरीका और ताइवान से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

च. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे :

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहारों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति लाई जा सके जो देश के सामान्य हित में है।

पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

73. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्ति होंगे, घरेलू उद्योग का ह्राश रूकेगा और उपभोक्ताओं के लिए सम्बद्ध वस्तु का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कार्यकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के 2 या अधिक स्रोत रख सकते हैं।

सिफारिशें

74. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते है कि:

(क) तुर्की को छोड़कर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत को निर्यात उसके संबद्ध सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है । चूंकि तुर्की के मामले में पाटन मार्जिन न्यूनतम है इसलिए तुर्की के खिलाफ जांच समाप्त की जाती है । अमरीका तथा ताइवान से आयातित संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

(ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति अमरीका और ताइवान से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण हुई है ।

(ग) वास्तविक क्षति अमरीका और ताइवान से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है ।

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत कर उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी । पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन (तुर्की को छोड़कर) तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुए वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए शुल्क लगाना अपेक्षित है । प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू समान उत्पाद की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है ।

76. जहां तक शुल्क संरचना का संबंध है, मामले की तथ्यात्मक विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना तथा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए अमरीका और ताइवान के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू किए जाने के लिए निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में उल्लिखित राशि और पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क के निश्चित शुल्क स्वरूप की सिफारिश करना उचित समझा जाता है ।

क्र. सं.	शीर्ष/ उपशीर्ष	वस्तु विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	283340 00	पेरक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियम परसल्फेट्स या सोडियम पर सल्फेट्स	अमरीका	अमरीका	कोई	कोई	62	मी.ट.	अम .. डा.

2	283340 00	पेरक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियमपरसल्फेट्स या सोडियमपरसल्फेट्स	अमरीका	अमरीका से इतर कोई	कोई	कोई	62	मी.ट.	अम .. डा.
3	283340 00	पेरक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियमपरसल्फेट्स या सोडियमपरसल्फेट्स	अमरीका तथा ताइवान से इतर काई	अमरीका	कोई	कोई	62	मी.ट.	अम .. डा.
4	283340 00	पेरक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियमपरसल्फेट्स या सोडियमपरसल्फेट्स	ताइवान	ताइवान	कोई	कोई	94	मी.ट.	अम .. डा.
5	283340 00	पेरक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियमपरसल्फेट्स या सोडियमपरसल्फेट्स	ताइवान	ताइवान से इतर काई	कोई	कोई	94	मी.ट.	अम .. डा.
6	283340 00	पेरक्सोसल्फेट्स या परसल्फेट	अमोनियम परसल्फेट्स पोटेशियमपरसल्फेट्स या सोडियमपरसल्फेट्स	अमरीका तथा ताइवान से इतर काई	ताइवान	कोई	कोई	94	मी.ट.	अम .. डा.

आगे की प्रकिया

77. केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

जे.एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

Final findings

Subject : Anti-dumping investigations on imports of 'Peroxosulphates' (also known as 'Persulphates') originating in or exported from Taiwan, Turkey and USA. –Final findings

No. 14/9/2012-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules).

A. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), under the above Rules, received a written application from M/s. Gujarat Persalts Pvt. Ltd. Ahmedabad, M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd. Mumbai, M/s VR Persulphates Ahmedabad & M/s Yoyo Chemicals Ahmedabad (hereinafter referred

to as the Applicants) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Persulphates originating in or exported from Taiwan, Turkey and USA (hereinafter referred to as subject countries).

(ii) Preliminary scrutiny of the application revealed certain deficiencies, which were subsequently rectified by the Applicant. The application was, therefore, considered as properly documented.

(iii) The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Anti-dumping Rules.

(iv) The Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Applicant to justify initiation of the investigation, decided to initiate the investigation against imports of the subject goods from the subject countries.

(v) The Authority issued a public notice dated 28th September 2012 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.

(vi) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the Applicant) and industry associations and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.

(vii) The Authority also forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.

(viii) The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.

(ix) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

Degussa Initiators GmbH & Co. KG Dr.Gustav–Adoplph Str.3, Pullach,, 82049 DE Tel : 0049-89-74422233 Fax : 0049-89-744226112 Email : yanrong.liang@degussa.com Website : www.degussa-initiatiors.com	Manufacturing Location Industrial Chemicals Group 78 Sawyer Avenue P.O.Box 845 Tonawanda, New York 14150 United States Phone: +1 716-879-0400
E.I. Dupont Nemours 1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898 Phone: +302- 774-1000	FMC Corporation 1735 Market Street Philadelphia, PA 19103 USA Phone: +215-299-6000 Fax: +215-299-5998
Taiwan Wanding Chemical Co., Ltd Jianguo North Road Taiwan00222 Telephone**:** 886-02-25688991	Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş Visnezade Mah Suleyman Seba Cad No: 82 Macka Besiktas Istanbul Phone: 0090 212 258 31 22 / 0090 212 259 74 02 Fax: 0090 212 259 12 92
Surya Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Sti. (Surya Chemical Products) Ferhatpaşa Mah. G-3 Sk. No. 100/B Kartal – Samandıra / Istanbul Tel /Phn: +90 216 572 27 87 Fax : +90 216 572 79 28	

However, no questionnaire response has been received from any producers and exporters of the subject goods from the subject countries.

(x) Questionnaires were sent to the following known importers / users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules :

Gujarat Themis Biosyn Ltd. Chemical Plastic Division Rhone Poulenc House Sudam Kalu Ahire Marg Bombay 400 025	Nicholas Piramal India Ltd 3rd Floor, Arvind Chambers Sai Service Compound Western Express Highway, Andheri E Bombay 400069
Padma Agencies Bulk Drug Division 5-9-30 Road No. 4 Basheerbagh Hyderabad 500 063	Aurobindo Pharma Ltd. Rhone Poulenc House, S.K. Ahire Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra
Artek Surfin Chemicals Ltd. 3rd Floor, Arvind Chambers Sai Service Compound Western Express Highway, Andheri E, Bombay 400069	Novartis India Ltd. Rhone Poulenc House, S.K. Ahire Marg, Worli, Mumbai, Maharashtra
Zydex Industris 25-A, Gandhi Compound, Gorwa, Baroda – 390016	Venus Insulators Pvt. Ltd. Gat No. 757, Khe-Shivapur, Tal Haveli, Dist. Pune – 412205

However, no questionnaire response has been received from any importer of the subject goods in India except M/s .Visen Industries Ltd.

(xi) The comments have been received from following interested parties.

- M/s Chem Intel
- M/s Visen Industries Ltd.
- Republic of Turkey, Ministry of Economy, Directorate General of Exports.

(xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. During the investigation proceedings, the interested parties mentioned above as well as the domestic industry submitted information pertinent to the investigations and submissions made by all interested parties have been taken into account in present Disclosure statement.

(xiii) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

(xiv) Additional information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation.

(xv) The Non-injurious Price based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out in terms of Annexure III of the Anti dumping rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry;

(xvi) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2011 to 31st March 2012 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2008-09, 2009-10, 2010-11 and POI.

(xvii) In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 22nd July 2013. The parties who presented their views orally in the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were also given an opportunity to offer rejoinder to the submissions made by opposing interested parties. The arguments made by interested parties in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in this Disclosure statement.

(xviii) . The following interested parties submitted their comments i.e. written submissions and/rejoinders to the Authority after the public hearing.

(i) M/s Chem Intel
(ii) M/s Visen Industries Ltd.
(iii) Republic of Turkey, Ministry of Economy, Directorate General of Exports.
(iv) The domestic industry.

(xix) Exchange rate for conversion of US$ to Rs. Is considered for the POI as Rs.48.14 as per customs data.

(xx) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded this Disclosure statement on the basis of the 'facts available'.

(xxi) In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts/basis considered for these findings was disclosed to known interested parties vide disclosure statement and comments received thereon, subject to being relevant, have been addressed in the final findings. The comments to the disclosure statement have been submitted by domestic industry and M/s Chem Intel and M/s Visen Industries. The Turkish embassy in their email has stated that they do not have any further comments in this matter.

(xxii) *** in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the AD Rule.

(xxiii) The Central government extended the time period to complete the investigation and notify the final findings till 27.03.2014.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

B.1 Submissions made by the Domestic industry

2. The views of the domestic industry are as follows:

a.) The product under consideration is 'Peroxosulphates' commonly known as 'Persulphates'. Persulphates are a group of closely related compounds. These are produced as Alkali Metal salts which include Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS) and Sodium Persulphates (SPS).

b.) The Chemical Formula of these Persulphates are, respectively, $(NH_4)_2S_2O_8$, $K_2S_2O_8$, $Na_2S_2O_8$. The three types of persulphates have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries and one can be substituted for another. All three salts are one and same product.

c.) The present case is the third investigation by Designated Authority and the Designated Authority has already held that the three types of Persulphates constitute one article.

d.) European Commission has conducted investigations relating to the same product, and the scope of product under consideration included potassium monopersulphate (KMPS) as well. All the types of persulphate were held as one product. USA has conducted investigations relating to the product under consideration and has subsequently conducted two sun set review investigations. The US ITC has held that the three types of Persulphate constitute one article.

e.) Difference in costs and prices of two products does not render them different article. It only means that the comparison must be done separately for the three products while determining dumping margin

B.2 Views of the other interested parties

3. The views of the other interested parties are as follows:

a. The three types of persulphates (Ammonium Persulphate, Potassium Persulphate and Sodium Persulphate) are not similar products and hence, should not be treated as a single product.

b. The chemical composition of different type of persulphate is not same. Ammonium Pursulphate [(NH4)2S2O8], Potassium Persulphate [K2S2O8] and Sodium Persulphate [Na2S2O8] has evidently got different chemical composition. Thus, chemical composition is different between types of persulphate.

c. There is significant difference in cost and prices between various types of persulphate. The average price of Ammonium Persulphate was in the range of Rs. 70-75 per Kg, and Potassium Persulphate was in the range of Rs. 100-110 per Kg and Rs. 100-110 for Sodium Persulphate during the POI.

d. Ammonium Persulphate is not commercially interchangeable with the other two types solely because price of Potassium Persulphate and Sodium Persulphate are higher by 40-50% as compared to Ammonium Persulphate.

e. Post disclosure, the importers have reiterated their views with regard to submissions made earlier by them that different types of products should not be treated as one single product.

B.3 Examination by the Authority

4. The product under consideration in this investigation is Peroxosulphates (also known as Persulphates). Three types of persulphates have been included in the present investigation, which are:

I)Ammonium Persulphate (APS), (NH4)2S2O8)
II) Potassium Persulphate (PPS) (K2S2O8); and
III) Sodium Persulphate (SPS) (Na2S2O8).

5. These Persulphates are a group of closely related compounds produced as Alkali Metal salts. These are the most sensitive and efficient oxidizing agents and releases active oxygen very efficiently and easily. All the three persulphates are manufactured electrochemically and have the same or substitutable end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries. All Persulphates are classified in Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 2833 40 and under subheading 283340 00 under the Indian Trade Classification (Based on Harmonized Commodity Description and Coding system). However, the above classification is indicative only and is no way binding on the scope of this investigation.

6. Though the chemical compositions of the three types of persulphates included in the investigation are different, the applicants have argued that all the three types of persulphates should be included

within the scope of the product under consideration as the manufacturing process and end use of the persulphates are same.

7. With regard to the argument of the interested party that three types of persulphates should not be considered as single product, the Authority notes that potassium persulphate, sodium persulphate and ammonium persulphate are merely different types of persulphate. Different types of the product under consideration have been treated as one single product in past by the Designated Authority in India as well as by various Authorities in their anti dumping investigations across the global jurisdiction. In this regard, it is noted that USA and EU have also conducted anti dumping investigations on subject goods, wherein all types of persulphates were considered as one product after examining their physical and chemical properties, interchangeability etc. It is further noted that the Authority has conducted a separate anti dumping investigation on subject goods originating in or exported from China PR, sunset review investigation of which has been recently concluded and all types of persulphates were considered as one product. As regards the different price levels for the different product types, it is noted that price differences between product types per se do not justify the conclusion that a certain product type should be considered as a different product.

B.4 Like Article

8. Rule 2(d) of the AD Rules defines like article as follows:

"an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has the characteristics closely resembling those of the articles under investigation".

9. The domestic industry has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the product under consideration being imported into India. The domestic industry has claimed that there is no known difference in applicant's product and product under consideration exported from the subject countries and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.

10. The Authority has examined the matter and notes that there is no known difference in subject goods produced by the domestic industry and exported from subject country. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the subject goods produced by the petitioner company are being treated as domestic like article to the product under consideration imported from the subject country in accordance with the anti dumping Rules.

C. Scope of Domestic Industry And Standing

11. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

12. The application was filed by M/s Gujarat Persalts Pvt. Ltd. Ahmedabad, M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd. Mumbai, M/s VR Persulphates Ahmedabad and M/s Yoyo Chemicals Ahmedabad (referred to as the applicants) as the domestic industry of the subject goods in India. The petitioners

are the only known producers of the subject goods in India. All the four companies are participating in the present investigations and, therefore, the production of the applicants account for 100% of domestic production of like article in India. None of the interested parties has raised any objection with regard to standing and domestic industry status of the applicant. In view of the above and after due examination, it is held that the applicants satisfie the requirements of standing and domestic industry in terms of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules respectively.

D. Miscellaneous Submissions

D.1 Submissions made by the Domestic industry

i. The petitioners filed non confidential version of the petition and gave reasons for claiming confidentiality. The Designated Authority has accepted the same and, therefore there was no breach of confidentiality and the petition cannot be claimed to be deficient.

ii. Petitioners reported both the production (including and excluding captive consumption) in the non confidential version and Authority has adopted production excluding captive consumption. Interested parties have selectively read the data.

iii. The Designated Authority has adopted information as verified by the Directorate and considered higher capacity than the one reported by the petitioners in respect of one of the companies. The Authority has adopted its own established methodology for cost allocation and apportionment of expenses which had led to minor inconsequential changes in the trend relating to parameters on As regards difference in profits, return on investment and cash flow.

iv. The imports from Germany are de minimis and the prices are also higher. Therefore, there was no question of including Germany as the subject country.

D.2 Submissions made by the interested parties

i. Application does not have sufficient injury related evidences justifying initiation of the investigation.

ii. The non-confidential information provided was wholly deficient and did not contain sufficient information to gather suitable submissions.

iii. Certain information appearing in the petition shows inconsistency in terms of comparison with another investigation that was conducted recently.

iv. Germany, whose import price was lesser than that of USA and Turkey, has been excluded from present investigations. Import price that of APS from Turkey and USA and PPS from USA were higher than prices of these products from Germany. Thus, exclusion of Germany is incorrect & discriminatory.

v. Turkey is far from even posing an irreparable damage to the Complainants. According to International Trade Centre's (Trademap) statistics for 2012, Turkey has a share of 1,4% in India's subject good imports in terms of quantity. Even if the average of the import levels (approximately 1.049 tons) between 2008 – 2012 is taken into account, Turkey only represents 4% of India's total subject good imports.

D.3 Examination by the Authority

13. The Authority has examined the miscellaneous submissions as follows:

i. As regards the argument that application does not have sufficient injury related evidences justifying initiation of the investigation, the Authority notes that the petition had prima facie evidence of dumping causing injury, justifying the need to initiate the investigation.

ii. As regards the argument that the petition filed by the domestic industry is deficient, the Authority notes that only after receiving a duly documented and being prima facie satisfied on the claims made, the Authority initiated the investigation. Further, it is noted that the evidences and information submitted to the Authority during the process of investigation proceedings are verified during the process of investigation and only thereafter, the same is considered by the Authority while issuing the Disclosure statement.

iii. As regard the argument on inconsistency in the claims made by the petitioner in different investigations, it is noted that mere claims by the petitioner is not accepted as such by the Authority. The Authority duly examines the claims made by various interested parties including the petitioner during the process of investigation and only after detailed examination and verification of the information, the same has been taken on record.

iv. As regards the argument that Germany should have been included in the subject investigation, it is noted that Authority analyses imports for the product under consideration as a whole without segregating it into different types. After examining the import volume from the DGCIS transaction wise data, it is noted that imports of subject goods (all three grades of the subject goods) from EU constitute 6.79 % of the imports of subject goods during the POI. However, it is also noted that their import prices are much higher and have therefore not caused injury to the domestic industry. With regard to arguments that turkey's share is negligible in terms of its share in the total imports, it is stated that as per DGCI&S statistics, Turkey's share is much more than negligible in terms of volume.

E. Dumping Margin

E.1. Determination of Normal Value

E.1.1 Submissions made by the Domestic industry

14. The following are submissions of domestic industry

i. The petitioners have claimed normal value in USA on the basis of a price offer /quotation of one of the producers of subject goods in USA considering low and high volumes.

ii. The petitioners have further claimed normal value on the basis of the price at which one of the domestic producers has exported the product to USA for consumption in USA as an alternative.

iii. The petitioners could not provide any information with regard to calculation of normal value in Taiwan and Turkey. Therefore, the petitioners have claimed normal value for these two countries on the basis of constructed cost in India for ammonium persulphate only as the product of this grade only is being imported from these two countries.

iv. Post disclosure, the domestic industry has stated that constructed normal value determined in the case of turkey is not correct and there is incorrect termination of anti dumping investigations turkey from subject countries. It has also been stated that normal value determination in case of USA is not correct and normal value ought to have been determined based on the consumption price in USA. They have also stated that the Authority has erred in rejecting offer price made by sole producer in USA and exports made by one of the petitioner in US as there are no large no of producers of subject goods in the USA. In addition, it has been submitted that the Authority has failed to utilize best available information available with the authority.

v. Post disclosure, it has also been contended that the constructed normal value cannot be based on cost of production as per NIP.

Submissions made by Importers

15. It has been submitted that the domestic industry has determined the normal value for USA on the basis of its export prices to USA and offer prices by one of the producers in USA. In this regard, it is submitted that both methods are not correct for determination of normal value for USA.

E.1.2 Examination by the Authority

16. It is noted that none of the exporters from the subject countries has cooperated in the investigation to enable to determine normal value and export price of the subject goods in their countries. It is also noted that the domestic industry in its application had claimed normal value based on the basis of its export prices to USA and offer prices by one of the producers in USA. In this investigation, it was considered appropriate not to base determination of normal value on the basis of few offer prices of subject goods by producers in USA as these would not be reflecting domestic sales prices in the USA during the POI considering the fact that there are large no of sales transactions of

subject goods in the USA and also the fact that there are other producers of subject goods in USA whose sales prices are not known. Keeping in view these facts and after careful examination, the Authority has constructed normal value based on the constructed cost of production and reasonable profit margin.

E.1.2.1 Normal value in USA

17. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of USA for determining normal value in USA. However, none of the exporters in USA has cooperated with the authority with questionnaire response. After examining the submissions of various interested parties, Normal value in USA has been determined using constructed value approach. Prices of major inputs have been considered on the basis of prevailing international price. Consumption of raw materials per unit of production and the conversion costs have been considered on the basis of best information/data available on record, i.e., on the basis of information/data of the most efficient domestic industry. Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of best information/data available on record. Profit has been taken @ 5% of ex-factory costs, excluding interest. The normal value so taken in case of USA is mentioned in the dumping margin table.

E.1.2.2 Normal value in Taiwan

18. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of Taiwan for determining normal value. However, none of the exporters in Taiwan have cooperated with the authority with questionnaire response. Normal value in Taiwan has been determined using constructed value approach. Prices of major inputs have been considered on the basis of prevailing international price. Consumption of raw materials per unit of production and the conversion costs have been considered on the basis of best information/data available on record, i.e., on the basis of information/data of the most efficient domestic industry. Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of best information/data available on record. Profit has been taken @ 5% of ex-factory costs, excluding interest. The normal value so taken in case of Taiwan is mentioned in the dumping margin table.

E.1.2.3 Normal value in Turkey

19. As provided under the law, the Authority is required to consider selling price of the product when meant for consumption in the domestic market of Turkey for determining normal value. However, none of the producers and exporters in Turkey has cooperated with the authority with questionnaire response. Normal value in Turkey has been determined using constructed value approach. Prices of major inputs have been considered on the basis of prevailing international price. Consumption of raw materials per unit of production and the conversion costs have been considered on the basis of best information/data available on record, i.e., on the basis of information/data of the most efficient domestic industry. Selling, general & administrative costs have been taken on the basis of best information/data available on record. Profit has been taken @ 5% of ex-factory costs, excluding interest. The normal value so taken in case of Turkey is mentioned in the dumping margin table.

D.2. Determination of Export Price

20. Export price in respect of product under consideration for all producers and exporters has been determined as per facts available. For the purpose, the Designated Authority has considered Indian customs data relating to imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been allowed on the on the Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Bank charges, commission and inland freight on the basis of facts available. The export sales to India (net of all the adjustments) of each subtypes of product under consideration have been considered as ex-factory export price.

E.3. Determination of Dumping Margin

It is noted that USA has exported all three subtypes of the Product under consideration during POI while Taiwan and Turkey have exported only APS during the same period. The dumping margin for the product under consideration has been determined after comparing the normal value with the export price of each subtypes i.e APS, PPS and SPS which has been exported by each subject countries during the POI. Thereafter weighted average dumping margin has been determined for subject countries. After the analysis of the data, the dumping margin has been worked out as mentioned in the table. As the dumping margin determined in respect of Turkey is negative, the anti dumping investigation is terminated with respect to Turkey.

All Producers and exporters in USA US$/Kg					
	APS	PPS	SPS	Weight Average	Dumping margin range
Normal Value	***	***	***	***	
Export Price	***	***	***	***	
Dumping Margin	(***)	(***)	***	***	
Dumping Margin %	(***)	(***)	***	***	0-10

All Producers and exporters in Taiwan US$/Kg		
	APS	Dumping margin range
Normal Value	***	
Export Price	***	
Dumping Margin	***	
Dumping Margin %	***	5-15

21. The weighted average dumping margin as determined above for product under consideration is shown in the table below.

22. consideration is shown in the table below.

SN	Countries/Territory All producers and exporters	Dumping Margin US$/kg	Dumping Margin%	Dumping margin range
1	USA	***	***	0-10%
2	Taiwan	***	***	5-15%
3	Turkey	(***)	(***)	(0-10%)

F. Injury

F.1. Submissions made by Domestic Industry

23. The domestic industry has argued that:

a) The Designated Authority is not required to determine injury in respect of individual product types. Injury is required to be seen for the product under consideration and like article.

b) Cumulative assessment is justified in the present case. Mere existence of different product types and supply of some product from a country and non supply of other product type does not mean that cumulative assessment would be unjustified. The three types of the product under consideration constitute one article.

c) Demand for the product has shown increase and Indian producers are well aware that export is not their focus market.

d) Decline in production is more than the decline in export volumes. Further, even the domestic sales volumes declined even when demand for the product under consideration has increased. Decline in domestic sales volumes when demand has increased itself establishes both injury and causal link.

e) Difference between NIP and NSR is entirely immaterial in injury analysis. The purpose of NIP is only to determine injury margin.

f) "Difference in costs" and "deterioration in profitability" are two distinct parameters. While difference in costs could be due to other factors, deterioration in profitability cannot be due to cost differences.

g) The landed prices of import from subject countries are materially lower than selling price of the domestic industry. Existence of significant price undercutting by the exports clearly establishes that it is the dumped import which is the major cause of injury to the domestic industry.

h) Imports from the subject countries are undercutting the prices of domestic industry to a significant extent. The import price is undercutting the domestic price, in spite of low prices already offered by the domestic industry.

i) Increase in selling price of the domestic industry is not in proportion to the increase in the cost of production of the subject goods. This is because of the significant low prices of the goods as maintained by the imports from the subject countries. Therefore, it is very evident that the dumped imports are causing price suppression to the domestic industry.

j) Production and sales of the domestic industry improved till 2010-11 and then declined in the POI. The capacity utilization and market share of the domestic industry also declined.

k) Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash profits was declining and profits turned into losses in POI.

l) Dumping margin as a measure of extent of dumping is quite significant.

m) The Designated Authority has imposed fixed form of anti dumping duty in the other investigation conducted in respect of Japan and China. Further, there are three types of Persulphates in the present case and therefore fixed form of duty or ad-valourem duty should be imposed in the present case.

n) Post disclosure, the domestic industry has submitted that non injurious price determined is too low. Petitioners have requested the Designated Authority to consider actual consumption of the raw materials in the investigation period.

o) The domestic industry has further reiterated their submissions with regard to injury submissions made by them earlier to the Authority. They have requested the Authority to impose anti dumping duties on fixed duty basis in US$ stating that the depreciation of INR has impacted the costs of the raw materials, utilities and other costs.

F.2. Submissions made by the interested parties

i. Injury should not be cumulatively assessed from all the subject countries as the goods are not competing at the same level and injury on APS and PPS from Germany. When there are no imports of PPS and SPS from Turkey and Taiwan, it is incorrect to attribute any injury to DI from the same. In such a situation, Cumulative Assessment would give a distorted picture.

ii. Import from subject countries needs to be seen separately for APS, PPS and SPS separately. There were no imports of PPS and SPS from Turkey and Taiwan. This clearly shows that there is no linkage between the imports from subject countries and the performance of the domestic industry.

iii. Capacity of the domestic industry has gone up by 57% over the injury period. In fact the capacity set up by the domestic industry were all focusing at the export markets.

iv. Production of the domestic industry during base year was 3,589 MT which went up to 3,857 MT during POI. Further, decline in the production during the POI as compared to 2010-11 is in line with the decline in the exports volume.

v. The sales volume of the domestic industry in domestic market during base year was 2,066 MT which went up to 2,439 MT during POI.

vi. Cost of production of some petitioners are very high because of process. Therefore, the Authority is required to compare company wise costing (conversion cost, raw material and utility cost) and injury data.

vii. There is significant increase in interest cost during the POI which should be critically examined by the Authority.

viii. High cost of production owing to high interest cost, wages, process, decline in exports volume, low priced imports from Germany etc are the root cause for any alleged injury which clearly establishes absence of causal link between dumping from subject countries and injury in the present case.

ix. Therefore, fixed form of duty, if at all the Authority considers this case for any imposition of AD duty, would render us uncompetitive and unviable to survive and at the same time confer unjust enrichment to the petitioner.

x. Complainants utilize the same injury and dumping allegations in contrast with financial well being observed in other investigation in terms of production, capacity sales, productivity and employment.

xi. Intervening trend must be seen while analyzing injury. Production has consistently increased. Production increase in 2008 and 2011 is 20.5%. production remained consistently above the demand till 2010-2011.

xii. Continuously increasing production and capacity outspaced demand causing self inflicted injury.

xiii. Decrease in production was because of decrease in exports. Further the losses suffered in 2009-10 and 2011-12 was because of the drop in exports.

xiv. Loss of market share was not because of Turkish imports but was because of the increase in imports from other countries.

xv. There is no causal link between imports of turkey and injury to the DI.

xvi. Decrease in profitability is also on account of wages.

xvii. Post disclosure, it has been submitted that price undercutting is not supported with complete facts. They have further stated that aspects of third country imports have not been examined objectively. It has also been stated that confidential treatment of normal value is unjustified.

xviii. Post disclosure, it has been submitted that there is no causal link between alleged injury and dumping and further it has been stated that duty , if any, should be in terms of Indian rupees and not US$ as domestic industry is already protected with large rupee depreciation. They have requested the Authority to terminate the present investigation.

F.3. Examination by the Authority

F.3.1 Cumulative Assessment

24. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. Taking into

account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to suppress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

25. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

26. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

27. In this regard the Authority observes that:

a) The margins of dumping from each of the subject countries (hence forth also to referred to as USA and Taiwan) are more than the limits prescribed above;

b) The volume of imports from each of the subject countries is more than the limits prescribed;

c) Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate since the exports from the subject countries directly compete with the like articles offered by the domestic industry in the Indian market. This is evident from the following:

i. The subject goods manufactured by the producers from the subject countries *inter-se* and in comparison to the product manufactured by the domestic industry. In other words, the subject goods supplied from various subject countries and by the domestic industry are *inter-se* like articles.

ii. There are common parties who are resorting to use of imported material from various sources and domestic material. Imported and domestic materials are, therefore, being used interchangeably and there is direct competition between the domestic product & imported product.

iii. The sales channels are comparable.

iv. Volume of imports from each of the subject countries is significant.

v. Consumers make purchase decision on the basis of prices offered by various suppliers.

28. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from USA and, Taiwan (also referred to as subject countries henceforth in this disclosure statement) on the domestic industry in the light of conditions of competition between imported product and like domestic product.

29. The Authority has analyzed injury parameters in accordance with the rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been treated confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

30. The Authority has considered the views of the interested parties and addressed the same appropriately.

31. Since positive dumping margins have been established for the exports from the subject countries i.e USA and Taiwan, therefore, entire exports from these subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal links examinations.

32. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties on injury to the domestic industry and has analyzed injury to the domestic industry considering the facts available on record and applicable law as follows. The submissions made by the interested parties have been considered to the extent found pertinent and have been examined below and in the relevant sections of this disclosure statement.

33. The Authority notes that the following injury analysis shows the state of the domestic industry and the injury caused by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. The Authority has considered and addressed the specific and relevant submissions herein below:

 a. As regards the contention that injury should not be cumulatively assessed from all the subject countries it is noted that the conditions for cumulation exists as noted above. Further, the Authority is not required to segregate the types of product and then assess the same. Since positive dumping margins have been established for the exports from the subject countries, entire exports from the subject countries have been treated as dumped imports for the purpose of injury analysis and causal links examinations.

 b. As regards the contention that import from subject countries needs to be seen separately for APS, PPS and SPS, it is noted that injury is seen to the domestic industry caused by the imports of the product under consideration. Since the product has been defined as including all types of persulphates, the injury analysis shall also follow for the product under consideration as a whole and not for product types. The Authority has undertaken injury analysis for the product as a whole in the recently conducted sunset review investigation on subject goods from China.

 c. As regards the contention that sunset review concluded recently on subject goods, noted improvement in performance of domestic industry in certain parameters, the Authority notes that it is a well settled principle of law that injury may not be reflective in all parameters analysed. It is further noted that despite observing improvement in certain parameters in the said investigation, the Authority concluded injury to the domestic industry.

 d. With regards to comments by interested parties post disclosure, it is stated that both the parties i.e. domestic industry as well as exporters have largely reiterated their submissions made earlier to the Authority. With regard to domestic industry submission that non injurious price determined is too low, it is stated that non injurious price has been determined taking into account the principles and rules as per Annexure III of the anti dumping rules.

e. With regard to the post disclosure comments of the importers that price undercutting is not supported with complete facts, the matter has been examined and it is stated that price undercutting has been examined for the entire injury period in this investigation. It is noted that though price undercutting in respect of subject countries (USA and Taiwan) is negative during the base year i.e. 2008-09. They have turned positive and significant from 2009-10 onwards.

f. With regard to post disclosure comments that aspects of third country imports have not been examined objectively, the matter has been examined and it is stated that imports from third countries are either negligible in terms of volume, or their prices are higher and these are not injuring the domestic industry. With regard to comments that confidential treatment of normal value is unjustified, it is stated that constructed normal value has been determined taking into account the international raw material prices and consumption norms of the most efficient domestic industry in view of the fact that there was no cooperation from the producers and exporters from subject countries. In view of the above, the absolute value of CNV has not been disclosed. However, the dumping margin range has been disclosed in the dumping margin table.

g. With regard to other comments relating to injury, these have been dealt in the relevant paragraphs/headings in the final findings.

F.3.2 Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

a) Import Volumes and share of subject country

34. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from transaction wise data made available from DGCI&S. The volume of imports of the subject good from the subject countries have been analyzed as under :

Imports – (Volume)	**Unit**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
USA	MT	134	591	765	702
Taiwan	MT	20	90	132	163
Total subject countries import	MT	154	681	897	865
Trend	Indexed	100	441	581	561
Country attracting ADD China	MT	204	266	246	496
Trend	Indexed	100	131	121	244
Other countries (including Turkey)	MT	156	92	114	421
Total Imports	MT	514	1,038	1,257	1,782
Trend	Indexed	100	202	245	347
Market share in imports					
USA	%	26.13%	56.87%	60.86%	39.39%
Taiwan	%	3.89%	8.67%	10.50%	9.17%
Subject countries		30.02	65.54%	71.36%	48.56%
Countries Attracting ADD	%	39.61%	25.60%	19.56%	27.83%
Other Countries(including Turkey)	%	30.36%	8.86%	9.07%	23.61%

35. It is noted that the volume of dumped imports from subject countries has shown significant increase in absolute terms during the injury period. Imports of the subject goods from countries already attracting ADD and other countries have also shown increase over the injury period during the same period.

b) Assessment of Demand and Market Share

36. The Designated Authority has determined demand as the sum of domestic sales of the domestic industry, sales of other Indian producers and imports of the subject goods in India from all sources. The demand so assessed is shown in the following table. It would be seen from the table above that there is steady increase in the demand throughout the injury period.

Particulars		**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**POI**
Demand in India					
Domestic industry sales	MT	2,066	2,524	2,655	2,445
	Indexed	100	122	128	118
Subject imports	MT	154	681	897	865
Other countries attracting anti dumping duties		204	266	246	496
Other countries	MT	156	92	114	421
Demand/consumption	MT	2,580	3,562	3,912	4,227
Trend	Indexed	100	138	152	164
Market Share in Demand					
Domestic industry	%	80.09%	70.85%	67.88%	57.84%
Subject Countries	%	5.98%	19.11%	22.93%	20.47%
Countries Attracting ADD	%	7.89%	7.46%	6.28%	11.73%
Other Countries	%	6.05%	2.58%	2.91%	9.95%

37. The Authority further notes that while imports from subject countries have increased during the injury period, the sales of the petitioners could not increase in proportion to the increase in demand and infact declined in the POI as compared to the previous two years. The market share of imports of subject goods from the subject countries have increased significantly during the injury period whereas the market share of domestic industry has constantly decreased in view of the dumped imports.

E.3.3 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

a) Price Undercutting

38. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

39. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like

product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison was made between the landed value of the product concerned and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex factory level.

Particulars	UOM	APS	SPS	PPS	Weighted Average
Subject Countries as a whole					
Net Sales Realization	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	154	144	122
Landed Price	Rs./Kg	57.73	94.78	86.32	72.33
	Indexed	100	164	150	125
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price under cutting	**range %**	10-20	5-15	5-15	5-15
USA					
Net Sales Realization	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	154	144	127
Landed Price	Rs./Kg	60.42	94.78	86.32	76.82
	Indexed	100	157	143	127
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price under cutting	**range %**	5-15%	5-15	5-15	5-15
Taiwan					
Net Sales Realization	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	154	144	100
Landed Price	Rs./Kg	53.03	No import	No import	53.03
	Indexed	100			100
Price Undercutting	Rs./Kg	***			***
Price Undercutting	%	***			***
Price under cutting	**range %**	15-25			15-25

40. It is noted from the table above that landed price of the subject goods from the subject countries have been below the selling price of domestic industry during the POI thereby undercutting the prices of domestic industry. The imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry in the POI for all grades of per sulphates individually and collectively. It is also noted that landed price of the subject goods from the subject countries have been below the selling price of domestic industry throughout the injury period except base year thereby undercutting the prices of domestic industry

b) Price underselling

41. The Authority has also examined price underselling if any, suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. After examination, it is determined that the domestic industry has suffered significant price underselling during the investigation period.

POI

Particulars	**UOM**	**APS**	**SPS**	**PPS**	**Weighted Average**
Subject Countries as a whole					
Non Injurious Price by DI	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	123	151	122
Landed Price	Rs./Kg	57.73	94.78	86.32	72.33
	Indexed	100	164	150	125
Price Underselling	Rs./Kg	***	(***)	***	***
	%	***	(***)	***	***
Price under selling	**range %**	15-25	(15-25)	5-15	5-15
USA					
Non Injurious Price	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	123	151	127
Landed Price	Rs./Kg	60.42	94.78	86.32	76.82
	Indexed	100	157	143	127
Price Underselling	Rs./Kg	***	***	***	***
	%	***	(***)	***	***
Price under selling	**range %**	5-15	(15-25)	5-15	5-15
Taiwan					
Non Injurious Price	Rs./Kg	***	***	***	***
	Indexed	100	123	151	100
Landed Price	Rs./Kg	53.03	No import	No import	53.03
Trend	Indexed	100			100
Price Underselling	Rs./Kg	***			***
	%	***			***
Price under selling	**range %**	15-25			15-25

c) Price Suppression and Depression

42. The cost and price movement of the domestic industry and the landed value of imports from the subject countries have been compared over the injury period to examine whether the effect of dumped imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Cost of production	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	97	141
Net Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	106	107
Profit/loss	Rs./Kg	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	***	***	***	(***)
Landed Price USA	Rs./Kg	92.00	68.89	68.88	76.82
Landed Price from Taiwan	Rs./Kg	62.44	48.86	53.00	53.03
Landed Price from Subject Countries	Rs./Kg	88.47	66.25	66.54	72.33

43. The Authority notes from the above that there is no decline in the selling price of the domestic industry during the injury period as compared to base period. Thus, there is no price depression effect in this case. However, from the above table, it is noted that increase in selling price of the domestic industry is not in proportion to the increase in the cost of production of the subject goods. This could be because of the significant low prices of the subject goods imported from the subject countries. Therefore, it is evident that the dumped imports are causing price suppression to the domestic industry in respect of subject goods. The Authority notes that during the POI, there was significant increase in the input cost of the subject goods. As a result the cost of production of the domestic industry increased significantly. However, the landed value of imports of subject goods has remained below the cost of production during the same period. As a result the domestic industry was not able to increase its selling prices commensurate with the increase in the cost of production. This resulted in significant erosion of profitability of the domestic industry during the POI.

E.3.4 Economic parameters of the domestic industry

44. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

(a) Capacity, Production, Capacity Utilization and sales

45. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

SN	Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI
1	Capacity	MT	5,200	5,600	6,400	6,400
2	Production	MT	3,343	3,653	4,041	3,507
3	Capacity utilization	%	64%	65%	63%	55%
4	Domestic Sales	MT	2,066	2,524	2,655	2,445
5	Demand	MT	2,580	3,562	3,912	4,195

46. It is noted that the production and sales of domestic industry has increased up to 2010-11 and then declined in POI. The capacity utilization has declined during the injury period.

(b) Profits, Return on Capital Employed and Cash Profit

47. The Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as under :

Particulars	Unit	2008-09	2010-11	2011-12	POI
Cost of production	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	97	141
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	106	107
Profit/Loss	Rs/Kg	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	57	142	-18
Profit/Loss	Rs. Lacs	***	***	***	(***)
Trend	Indexed	100	69	180	-21
Profit before Interest tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	89	152
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	74	89
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	82.70	81.03	86.39

48. It is noted that both the cost of production and net selling price increased during the POI as compared to the immediate preceding as well as the base year. However, the cost of production has increased more than the selling price. The return on investment declined in the POI as compared to base year. The profitability of the domestic industry reached to negative levels in the POI.

(c) Employment and wages:

49. The Status of employment levels and wages of the domestic industry has been as under :

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI
No. of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	115	144	151
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	167	314

50. The Authority notes that employment level and wages have increased over the injury period.

(d) Productivity

51. The productivity of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	84	69
Productivity per Day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	121	105

52. It is noted that the productivity has increased up to 2010-11 and then declined in the POI as the production of the domestic industry declined.

(e) Inventories

53. The Designated Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Inventories	UOM	2008-09	2009-10	2010-11	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing stock	MT	***	***	***	***
Average Stock	MT	***	***	***	***
Index	Indexed	100	114	114	108

54. It is noted that the average inventories with the Domestic Industry increased up to 2010-11 and then declined in the POI as compared to the previous year.

(f) Ability to raise capital

55. With regard to ability to raise investments, it is noted that the domestic industry has increased its capacity with increase in demand. The major constituent of the domestic industry i.e M/s Calibre Chemicals Pvt. Ltd is multi Product Company and ability to raise capital may not get impacted adversely due to this product.

(g) Growth

56 There has been significant growth in the import volumes of the subject goods from the subject country. On examination of various economic parameters of the domestic industry, it is noted that both the volume parameters and price parameters showed improvement up to 2010-11 and has declined thereafter in the POI. The domestic industry incurred financial losses in the POI. Thus, overall growth of the domestic industry was adverse.

(h) Magnitude and Margin of Dumping

57. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject countries are above de minimis and significant.

(i) Factors Affecting Domestic Prices

58. Consideration of the import prices from the subject countries and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price and cost of production of the

domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. It is further noted that imports of subject goods from other countries are at much higher prices or are attracting anti dumping duty. There is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the principal factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from subject countries and cost of raw materials.

MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

59. Based on the analysis of the cost data submitted by the domestic industry, for the POI, the Authority has also determined the Non Injurious Price (NIP) for the domestic industry in accordance with the provisions of the Anti Dumping Rules. The injury margin for the product under consideration has been determined after comparing the corresponding NIP, as determined by the Authority with the landed price of each subtypes i.e. APS, PPS and SPS which has been exported by subject countries during the POI. Thereafter weighted average injury margin has been determined for subject countries. After the analysis of the data, the injury margin has been worked out as mentioned in the table. Accordingly, the injury margin in the present case works out as follows :

USA : All Producers and Exporters

	APS	PPS	SPS	Weighted Average injury margin	Injury Margin range
NIP US $/Kg	***	***	***	***	
Landed value in US$/Kg	***	***	***	***	
Injury Margin US$/Kg`	***	***	***	***	
Injury Margin %	***	***	***	***	5-15

Taiwan : All Producers and Exporters

	APS	Weighted Average injury margin	Injury Margin range
NIP US $/Kg	***	***	
Landed value in US$/Kg	***	***	
Injury Margin US$/Kg`	***	***	
Injury Margin %	***	***	20-30%

60. The weighted average injury margin as determined above for product under consideration is shown in the table below.

SN	Countries/Territory	Injury margin US$/kg	Injury Margin%	Injury margin range %
	All producers and exporters			
1	USA	***	***	5-15
2	Taiwan	***	***	20-30%

E.4 Causal Link

61. As per the AD Rules, the Designated Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports.

62. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority has examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link has been done as follows:

(a) Imports from third countries and other Known Factors

63. It is noted that imports of subject goods from third countries were either negligible or are already subject to anti dumping duties or like in case of EU, when their import volume is more than negligible, their prices are higher and therefore could not have caused injury to the domestic industry. As regards the argument that import prices from Germany are higher for PPS grade, it is noted that Authority analyses imports for the product under consideration as a whole without segregating it into different types. After examining the import volume from the DGCIS transaction wise data, it is noted that imports of subject goods (all three grades of the subject goods) from EU constitute 6.79% of the imports of subject goods during the POI. However, it is also noted that their prices are much higher and have not caused injury to the domestic industry.

(b) Contraction in demand

64. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant increase during the injury period.

(c) Pattern of consumption

65. It is noted that no significant change in the pattern of consumption for the subject goods has come to the knowledge of the Authority, nor any interested party has made any submission to that regard.

(d) Conditions of competition

66. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

(d) Developments in Technology

67. There is no allegation of developments in technology, nor has the investigation so far shown that possible injury to the domestic industry could have been caused by developments in technology.

(e) Export performance

68. The domestic industry has also made export sales of subject goods. However, the injury analysis has been done without including export performances of the domestic industry.

(f) Productivity of the Domestic Industry

69. It is noted that there is no material change in productivity of the domestic industry. Possible decline in productivity cannot be the reason for the established injury to the domestic industry.

E.4.1 Parameters establishing causal link

70. The Authority notes that while listed known other factors do not show that injury to the domestic industry has been caused by these factors, following parameters show that injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

a. The volume of dumped imports from the subject country increased significantly resulting in increase in the share of dumped imports in demand of the product in India. Consequently, the domestic industry lost its market share.

b. The imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry was not able to increase its prices in line with the increase in the costs. Imports were thus resulting in price suppression being faced by the domestic industry.

c. Imports of the product under consideration were undercutting the domestic prices, as a result of which the volume of imports increased. Resultantly, the domestic industry faced decline in capacity utilization. Though the sales volume increased during the injury period, it did not increase proportionate to increase in demand.

d. The operating performance of the domestic industry has deteriorated during the injury period. Thus, dumping of the product has led to deterioration in operating performance of the domestic industry.

e. The domestic industry is faced with significant increase in inventories.

f. The level of dumping margins and injury margins as determined are considered significant.

E.5 Conclusion on Injury and causation

71. It is noted that the imports coming into India from the subject countries except Turkey are above the de minimis. The dumping margin determined from USA and Taiwan is considered significant. It is concluded that the dumped imports of the subject goods from the subject countries have increased significantly in absolute terms as also in relation to production and consumption of the subject goods in India. Subject imports are significantly undercutting the prices of domestic industry. The imports are causing significant price suppression. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is concluded that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profit, cash flow, return on investment, productivity and inventories. Thus the Authority concludes that the domestic industry has suffered injury on account of dumped imports of subject goods from USA and Taiwan. .

F. Indian industry's interest & other issues:

72. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to reestablish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way; and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

73. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the antidumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

Recommendations

74. Having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of above analysis of the state of dumping and consequent injury to domestic industry, the Authority concludes that

(a) The product under consideration has been exported to India from the subject countries except Turkey below their associated Normal values. As dumping margin in case of turkey is de minimus, the investigation is terminated against Turkey. The dumping margins of the subject goods imported from USA and Taiwan is above de-minimis;

(b) The domestic industry has suffered material injury on account of imports of subject goods from USA and Taiwan

(c) The material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from USA and Taiwan

75. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted a investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins (except Turkey) as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of duty is required to offset dumping and injury. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury margin, the landed value of imports of product under consideration has been compared with the non-injurious price of the domestic like product produced by domestic industry determined for the period of investigation.

76. With regard to duty structure, keeping into account factual matrix of the case and having regard to contentions raised, information provided and submissions made by interested parties, it is deemed appropriate to recommend fixed duty form of anti dumping duties, equal to the difference between the amount indicated in the column 9 of the table below and landed value, to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central government on all imports of subject goods originating in or exported from USA and Taiwan.

Duty Table

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Specifications	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28334000	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	USA	USA	Any	Any	62	MT	US $
2	28334000	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	USA	Any other than USA	Any	Any	62	MT	US $

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Specifications	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Ex-porter	Duty Amount	Unit	Cur-rency
3	28334000	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Any other than USA and Taiwan	USA	Any	Any	62	MT	US $
4	28334000	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Taiwan	Taiwan	Any	Any	94	MT	US $
5	28334000	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Taiwan	Any other than Taiwan	Any	Any	94	MT	US $
6	28334000	Peroxosulphates or Persulphates	Ammonium Persulphates, Potassium Persulphates or Sodium Persulphates	Any other than Taiwan and USA	Taiwan	Any	Any	94	MT	US $

Further Procedure

77. An appeal against the order of Central Government arising out of this Final Finding Notification shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

J S DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.